दस माला, खंड 37, अंक 1

गुरुवार, 12 फरवरी, 2009
23 माघ, 1930 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण)

पंद्रहवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. PB-025
Block 'G'
Acc. No. 26-1
Dated 26.04.2010

(खंड 37 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी. डी. टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

डा. रविन्द्र कुमार चड्डा
संयुक्त सचिव

प्रतिमा श्रीवास्तव
निदेशक

कमला शर्मा
संयुक्त निदेशक–I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक–II

राकेश कुमार
सम्पादक

सुनीता थपलियाल
सहायक सम्पादक

अनिल निर्वाण
सहायक सम्पादक

© 2009 लोक सभा सचिवालय

अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद–विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदेर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्याधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अन्तर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

विषय सूची

चतुदर्श माला, खंड 37, पन्द्रहवां सत्र, 2009/1930 (शक)

अंक 1, गुरुवार, 12 फरवरी, 2009/23 माघ, 1930 (शक)

विषय	कॉलम
चौदहवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रमानुसार सूची	ii-xviii
लोक सभा के पदाधिकारी	xix
मंत्रिपरिषद्	xxi-xxiv
राष्ट्रगान	1
राष्ट्रपति का अभिभाषण	1-25
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	26
पूर्व प्रधानमंत्री और सभा के दो अन्य सदस्यों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए शुभकामनाएं	26
निधन संबंधी उल्लेख	26-30

चौदहवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अंगड़ि, श्री सुरेश (बेलगाम)
अंतुले, श्री ए.आर. (कुलाबा)
अंसारी, श्री फुरकान (गोड्डा)

अग्रवाल, डा. धीरेंद्र (चतरा)
अजगल्ले, श्री गुहाराम (सारंगढ़)
अजनाला, डा. रतन सिंह (तरनतारन)
अजय कुमार, श्री एस. (ओट्टापलम)
अटवाल, श्री चरणजीत सिंह (फिल्लौर)
अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा (बुलढाना)
अतिथन, श्री धनुषकोडी आर. (तिरूनेलवेली)
अनंत कुमार, श्री (बंगलौर दक्षिण)
अनसारी, श्री अफज़ाल (गाजीपुर)
अप्पादुरई, श्री एम. (तेनकासी)
अबदुल्लाकुट्टी, श्री (कन्नानौर)
अब्दुल्लाह, श्री उमर (श्रीनगर)
अम्बरीश, श्री एम.एच. (मांडया)
अय्यर, श्री मणिशंकर (मयिलादुतुरई)
अर्गल, श्री अशोक (मुरैना)
अहमद, डा. शकील (मधुबनी)
अहमद, श्री अतीक (फूलपुर)
अहमद, श्री ई. (पोन्नानी)
अहीर, श्री हंसराज गं. (चन्द्रपुर)

आचार्य, श्री प्रसन्न (सम्बलपुर)
आचार्य, श्री बसुदेव (बांकुरा)
आजमी, श्री इलियास (शाहाबाद)
आठवले, श्री रामदास (पंढरपुर)
आडवाणी, श्री लाल कृष्ण (गांधीनगर)
आदिकेसवुलु, श्री डी.के. (चित्तूर)
आदित्यनाथ, योगी (गोरखपुर)
आरुन रशीद, श्री जे.एम. (पेरियाकुलम)

इंग्ती, श्री बिरेन सिंह (स्वशासी जिला – असम)
इलेंगोवन, श्री ई.वी.के.एस. (गोविचेट्टिपालयम)

उरांव, डा. रामेश्वर (लोहरदगा)

ओराम, श्री जुएल (सुन्दरगढ़)
ओला, श्री शीश राम (झुंझुनू)
ओवेसी, श्री असादूद्दीन (हैदराबाद)
ओसमानी, श्री ए.एफ.जी. (बारपेटा)

कथीरिया, डा. वल्लभभाई (राजकोट)
कनोडीया, श्री महेश (पाटन)
कमलनाथ, श्री (छिंदवाड़ा)
करूणाकरन, श्री पी. (कासरगोड)
कलमाडी, श्री सुरेश (पुणे)
कश्यप, श्री बलीराम (बस्तर)
कस्वां, श्री राम सिंह (चुरू)
कादर मोहिदीन, प्रो. के.एम. (वेल्लौर)
कामत, श्री गुरूदास (मुम्बई उत्तर–पूर्व)
किन्डिया, श्री पी.आर. (शिलांग)
कुप्पुसामी, श्री सी. (मद्रास उत्तर)
कुमार, श्रीमती मीरा (सासाराम)
कुमारी सैलजा (अम्बाला)
कुरूप, एडवोकेट सुरेश (कोट्टायम)
कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह (मण्डला)
कृपलानी, श्री श्रीचन्द (चित्तौड़गढ़)
कृष्ण, श्री विजय (बाढ़)
कृष्णदास, श्री एन.एन. (पालघाट)
कृष्णन, डा. सी. (पोल्लाची)
कृष्णासामी, श्री ए. (श्रीपेरूम्बुदूर)
केरकेटा, श्रीमती सुशीला (खूंटी)
कोन्यक, श्री डब्ल्यू वांग्यू (नागालैंड)
कोरी, श्री राधेश्याम (घाटमपुर)
कोली, श्री रामस्वरूप (बयाना)
कौर, श्रीमती परनीत (पटियाला)
कौशल, श्री रघुवीर सिंह (कोटा)

खंडेलवाल, श्री हेमंत (बैतूल)

खन्ना, श्री अविनाश राय (होशियारपुर)

खन्ना, श्री विनोद (गुरदासपुर)

खां, श्री सुनील (दुर्गापुर)

खारवेनथन, श्री एस.के. (पलानी)

खैरे, श्री चंद्रकांत (औरंगाबाद, महाराष्ट्र)

गंगवार, श्री संतोष (बरेली)

गढ़वी, श्री पी.एस. (कच्छ)

गणेशन, श्री एल. (तिरुचिरापल्ली)

गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर (अहमदनगर)

गद्दीगउडर, श्री पी.सी. (बागलकोट)

गमांग, श्री गिरिधर (कोरापुट)

गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव (वाशिम)

गांधी, श्री राहुल (अमेठी)

गांधी, श्रीमती मेनका (पीलीभीत)

गांधी, श्रीमती सोनिया (रायबरेली)

गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव (मुम्बई, उत्तर–मध्य)

गाव, श्री तापिर (अरुणाचल पूर्व)

गावित, श्री माणिकराव होडल्या (नन्दुरबार)

गिल, श्री आत्मा सिंह (सिरसा)

गीते, श्री अनंत गंगाराम (रत्नागिरि)

गुढ़े, श्री अनंत (अमरावती)

गुप्त, श्री श्यामा चरण (बांदा)

गुलशन, श्रीमती परमजीत कौर (भटिंडा)

गेहलोत, श्री थावरचन्द (शाजापुर)

गोगोई, श्री दीप (कलियाबोर)

गोयल, श्री सुरेन्द्र प्रकाश (हापुड़)

गोविन्दा, श्री (मुम्बई उत्तर)

गोहेन, श्री राजेन (नौगांव)

गौडा, श्री डी.वी. सदानन्द (मंगलोर)

गौडा, श्रीमती तेजस्विनी (कनकपुरा)

घुरनराम, श्री (पलामू)

चक्रवर्ती, डा. सुजान (जादवपुर)

चक्रवर्ती, श्री अजय (बसीरहाट)

चक्रवर्ती, श्री स्वदेश (हावड़ा)

चटर्जी, श्री सांताश्री (सेरमपुर)

चटर्जी, श्री सोमनाथ (बोलपुर)

चन्द्र कुमार, प्रो. (कांगड़ा)

चन्द्रप्पन, श्री सी.के. (त्रिचूर)

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र (मालेगांव)

चारेनामै, श्री मणि (बाहरी मणिपुर)

चालिहा, श्री किरिप (गुवाहाटी)

चावड़ा, श्री हरिसिंह (बनासकांठा)

चित्तन, श्री एन.एस.वी. (डिंडीगुल)

चिदम्बरम, श्री पी. (शिवगंगा)

चिन्ता मोहन, डा. (तिरूपति)

चौधरी, डा. तुषार अमर सिंह (मांडवी)

चौधरी, श्री अधीर (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल)

चौधरी, श्री अबू हशीम खां (मालदा)

चौधरी, श्री निखिल कुमार (कटिहार)

चौधरी, श्री पंकज (महाराजगंज, उ.प्र.)

चौधरी, श्री बंसगोपाल (आसनसोल)

चौधरी, श्रीमती अनुराधा (कैराना)

चौधरी, श्रीमती रेनुका (खम्माम)

चौबे, श्री लाल मुनी (बक्सर)

चौरे, श्री बापू हरी (धुले)

चौहान, श्री नंद कुमार सिंह (खंडवा)

जगदीशन, श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी (तिरूचेन्गोड़े)

जटिया, डा. सत्यनारायण (उज्जैन)

जय प्रकाश, श्री (हिसार)

जयाप्रदा, श्रीमती (रामपुर)

जाधव, श्री प्रकाश बी. (रामटेक)

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश (कानपुर)

जार्ज, श्री के. फ्रांसिस (इदुक्की)

जालप्पा, श्री आर.एल. (चिकबलपुर)

जावमा, श्री वनलाल (मिजोरम)

जावले, श्री हरिभाऊ (जलगांव)

जिन्दल, श्री नवीन (कुरूक्षेत्र)

जीगजीणगी, श्री रमेश चंद्रप्पा (चिक्कोडी)

जेना, श्री मोहन (जाजपुर)

जैन, श्री पुष्प (पाली)

जोगी, श्री अजीत (महासमुन्द)

जोशी. श्री कैलाश (भोपाल)

जोशी, श्री प्रहलाद (धारवाड़ उत्तर)

झा, श्री रघुनाथ (बेतिया)

टाइटलर, श्री जगदीश (दिल्ली सदर)

ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी. (वडोदरा)

ठाकुर, श्री अनुराग सिंह (हमीरपुर)

ठुम्मर, श्री वी.के. (अमरेली)

डम्पी, श्री अकबर अहमद (आजमगढ़)

डांगावास, श्री भंवर सिंह (नागौर)

डेलकर, श्री मोहन एस. (दादरा और नागर हवेली)

डोम, डा. रामचन्द्र (बीरभूम)

ढिल्लो, श्री शरनजीत सिंह (लुधियाना)

ढींडसा, श्री सुखदेव सिंह (संगरूर)

तंगबालु, श्री के.वी. (सेलम)

तस्लीमुद्दीन, श्री (किशनगंज)

तीरथ, श्रीमती कृष्णा (करोलबाग)

तोपदार, श्री तरित बरण (बैरकपुर)

त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि (रीवा)

त्रिपाठी, श्री बृज किशोर (पुरी)

थामस, श्री पी.सी. (मुवत्तुपुजा)

थुपस्तन, श्री छेवांग (लद्दाख)

दत्त, श्रीमती प्रिया (मुम्बई उत्तर–पश्चिम)

दरबार, श्री छत्तर सिंह (धार)

दास, श्री अलकेष (नवद्वीप)

दास, श्री खगेन (त्रिपुरा पश्चिम)

दासगुप्त, श्री गुरूदास (पंसकुरा)

दासमुंशी, श्री प्रियरंजन (रायगंज)

दीक्षित, श्री सन्दीप (पूर्वी दिल्ली)

दूबे, श्री चन्द्र शेखर (धनबाद)

दुबे, श्री रमेश (मिर्जापुर)

देव, श्री बिक्रम केशरी (कालाहांडी)

देव, श्री वी. किशोर चन्द्र एस. (पार्वतीपुरम)

देव, श्री संतोष मोहन (सिल्चर)

देवरा, श्री मिलिन्द (मुंबई–दक्षिण)

देवेगौड़ा, श्री एच.डी. (हसन)

देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र (शोलापुर)

धनराजू, डा. के. (टिंडिवनाम)

धर्मेन्द्र, श्री (बीकानेर)

धोत्रे, श्री संजय (अकोला)

नन्दी, श्री अमिताभ (दमदम)

नम्बाडन, श्री लोनाप्पन (मुकुन्दपुरम)

नरबुला, श्री डी. (दार्जिलिंग)

नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश (उस्मानाबाद)

नरेन्द्र, श्री ए. (मेडक)

नाईक, श्री श्रीपाद येसो (पणजी)

नागपाल, श्री हरीश (अमरोहा)

नायक, श्री अनन्त (क्योंझर)

नायक, श्री ए. वेंकटेश (रायचूर)

नायक, श्रीमती अर्चना (केन्द्रपाड़ा)

निखिल कुमार, श्री (औरंगाबाद, बिहार)

निजामुददीन, श्री गुंडलूर (हिन्दुपुर)

निषाद, श्री महेन्द्र प्रसाद (फतेहपुर)

निहाल चन्द, श्री (श्रीगंगानगर)

पंडा, श्री ब्रह्मानन्द (जगतसिंहपुर)

पटेल, श्री किसनभाई वी. (बलसाड़)

पटेल, श्री दाह्याभाई वल्लभभाई (दमण और दीव)

पटेल, श्री दिनशा (खेड़ा)

पटेल, श्री सोमाभाई जी. (सुरेन्द्र नगर)

पटेल, श्री हरिलाल माधवजी भाई (पोरबंदर)

पानाबाका, श्रीमती लक्ष्मी (नेल्लौर)

परस्ते, श्री दलपत सिंह (शहडोल)

परांजपे, श्री आनंद (ठाणे)

पल्लानी शामी, श्री के.सी. (करूर)

पलानीमनिक्कम, श्री एस.एस. (तंजावूर)

पवार, श्री शरद (बारामती)

पटले, श्री शिशुपाल एन. (भन्डारा)

पाटसानी, डा. प्रसन्न कुमार (भुवनेश्वर)

पाटिल (यत्नाल), श्री बसनगौडा आर. (बीजापुर)

पाटिल, श्री डी.बी. (नांदेड़)

पाटील, श्री जयसिंगराव गायकवाड़ (बीड)

पाटील, श्री दानवे रावसाहेब (जालना)

पाटील, श्री बालासाहिब विखे (कोपरगांव)

पाटील, श्री लक्ष्मणराव (सतारा)

पाटील, श्री प्रतीक पी. (सांगली)

पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब (कराड़)

पाटील, श्रीमती रूपाताई डी. (लातूर)

पाटिल श्रीमती सूर्यकांता (हिंगोली)

पाठक, श्री हरिन (अहमदाबाद)

पाण्डा, श्री प्रबोध (मिदनापुर)

पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण (मंदसौर)

पायलट, श्री सचिन (दौसा)

पॉल, डा. सिबैस्टियन (एर्णाकुलम)

पाल, श्री रूपचंद (हुगली)

पानाबाका लक्ष्मी, श्रीमती (नेल्लौर)

पासवान, श्री रामचन्द्र (रोसड़ा)

पासवान, श्री राम विलास (हाजीपुर)

पासवान, श्री वीरचन्द्र (नवादा)

पासवान, श्री सुकदेव (अररिया)

पिंगले, श्री देविदास (नासिक)

पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी. (बापतला)

पोटाई, श्री सोहन (कांकेर)

पोन्नुस्वामी, श्री ई. (चिदंबरम)

प्रधान, श्री अशोक (खुर्जा)

प्रधान, श्री धर्मेन्द्र (देवगढ़)

प्रधान, श्री प्रशान्त (कोंटई)

प्रभु, श्री आर. (नीलगिरि)

प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर (राजापुर)

प्रसाद, कुंवर जितिन (शाहजहांपुर)

प्रसाद, श्री लालमणि (बस्ती)

प्रसाद, श्री हरिकेवल (सलेमपुर)

फातमी, श्री मोहम्मद अली अशरफ (दरभंगा)

फैन्थम, श्री फ्रान्सिस (नामनिर्दिष्ट)

बंसल, श्री पवन कुमार (चण्डीगढ़)

बखला, श्री जोवाकिम (अलीपुरद्वार)

'बचदा', श्री बची सिंह रावत (अल्मोड़ा)

बब्बर, श्री राज (आगरा)

बर्क, डा. शफीकुर्रहमान (मुरादाबाद)

बर्मन, प्रो. बसुदेव (मथुरापुर)

बर्मन, श्री रनेन (बलूरघाट)

बर्मन, श्री हितेन (कूच बिहार)

बहुगुणा, श्री विजय (टिहरी गढ़वाल)

बहुगुणा, श्री अनिल (आरामबाग)

बाउरी, श्रीमती सुस्मिता (विष्णुपुर)

बादल, श्री सुखबीर सिंह (फरीदकोट)

"बाबा", श्री के.सी. सिंह (नैनीताल)

बारकू, श्री शिंगाडा दामोदर (दहानू)

बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई (जूनागढ़)

बालू, श्री टी.आर. (मद्रास दक्षिण)

बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह (जोधपुर)

बुधौलिया, श्री राजनरायन (हमीरपुर, उ.प्र.)

बेल्लारमिन, श्री. ए.वी. (नागरकोइल)

बैनर्जी, कुमार ममता (कलकत्ता दक्षिण)

बैस, श्री रमेश (रायपुर)

बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर (कोकराझार)

बोचा, श्रीमती झांसी लक्ष्मी (बोब्बिली)

बोस, श्री सुब्रत (बारासाट)

भक्त, श्री मनोरंजन (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह)

भगोरा, श्री महावीर (सलूम्बर)

भडाना, श्री अवतार सिंह (फरीदाबाद)

भाईलाल, श्री (रॉबर्ट्सगंज)

भार्गव, श्री गिरधारी लाल (जयपुर)

भूरिया, श्री कांति लाल (झाबुआ)

मंडल, श्री अबु अयीश (कटवा)

मंडल, श्री सनत कुमार (जयनगर)

मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा (कोल्हापुर)

मनोज, डा. के.एस. (अलेप्पी)

मरन्डी, श्री सुदाम (मयूरभंज)

मरांडी, श्री बालू लाल (कोडरमा)

मल्लिकार्जुनैया, श्री एस. (तुमकुर)

मसूद, श्री रशीद (सहारनपुर)

महताब, श्री भर्तृहरि (कटक)

महतो, श्री टेक लाल (गिरिडीह)

महतो, श्री नरहरि (पुरूलिया)

महतो, श्रीमती सुमन (जमशेदपुर)

महरिया, श्री सुभाष (सीकर)

महाजन, श्रीमती सुमित्रा (इन्दौर)

महावीर प्रसाद, श्री (बांसगांव)

मांझी, श्री राजेश कुमार (गया)

माकन, श्री अजय (नई दिल्ली)

माझी, श्री परसुराम (नवरंगपुर)

माझी, श्री शंखलाल (अकबरपुर)

माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई (जामनगर)

मान, श्री जोरा सिंह (फिरोजपुर)

माने, श्रीमती निवेदिता (इचलकरांजी)

मारन, श्री दयानिधि (मद्रास मध्य)

मिडियम, डा. बाबू राव (भद्राचलम)

मिस्त्री, श्री मधुसूदन (साबरकांठा)

मिश्रा, डा. राजेश (वाराणसी)

मीना, श्री नमोनारायन (सवाई माधोपुर)

मुन्शी, राम, श्री (बिजनौर)

मुकीम, मो. (डुमरियागंज)

मुखर्जी, श्री प्रणब (जंगीपुर)

मुत्तेमवार, श्री विलास (नागपुर)

मुनियप्पा, श्री के.एच. (कोलार)

मुर्मू, श्री रूपचन्द (झाड़ग्राम)

मुर्मू, श्री हेमलाल (राजमहल)

मूर्ति, श्री ए.के. (चेंगलपट्टू)

मेघवाल, श्री कैलाश (टोंक)

मेहता, श्री आलोक कुमार (समस्तीपुर)

मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद (हजारीबाग)

मैन्या, डा. टोकचोम (आंतरिक मणिपुर)

मैक्लोड, सुश्री इन्ग्रिड (नामनिर्दिष्ट)

मोरे, श्री वसंतराव (इरन्दोल)

मो. ताहिर, श्री (सुल्तानपुर)

मोल्लाह, श्री हन्नान (उलूबेरिया)

मोहन, श्री पी. (मदुरै)

यादव, कुंवर देवेन्द्र सिंह (एटा)

यादव, डा. करण सिंह (अलवर)

यादव, श्री अखिलेश (कन्नौज)

यादव, श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु (गोपालगंज)

यादव, श्री अरूण (खरगौन)

यादव, श्री उमाकान्त (मछलीशहर)

यादव, श्री एम. अंजनकुमार (सिकन्दराबाद)

यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह (चन्दौली)

यादव, श्री गिरिधारी (बांका)

यादव, श्री चन्द्रपाल सिंह (झांसी)

यादव, श्री जय प्रकाश नारायण (मुंगेर)

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद (झंझारपुर)

यादव, श्री धर्मेंद्र (मैनपुरी)

यादव, श्री पारसनाथ (जौनपुर)

यादव, श्री बालेश्वर (पडरौना)

यादव, श्री मित्रसेन (फैजाबाद)

यादव, श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू (मधेपुरा)

यादव, श्री राम कृपाल (पटना)

यादव, श्री सीता राम (सीतामढ़ी)

यास्खी, श्री मधु गौड़ (निजामाबाद)

येरननायडु, श्री किन्जरपु (श्रीकाकुलम)

रंजन, श्रीमती रंजीत (सहरसा)

रघुपति, श्री एस. (पुडुकोट्टई)

रठवा, श्री नारनभाई (छोटा उदयपुर)

रवीन्द्रन, श्री पन्नियन (तिरूवनन्तपुरम)

राई, श्री नकुल दास (सिक्किम)

राजगोपाल, श्री एल. (विजयवाड़ा)

राजभर, श्री चन्द्रदेव प्रसाद (घोसी)

राजा, श्री ए. (पैरम्बलूर)

राजू, श्री एम.एम. पल्लम (काकीनाड़ा)

राजेन्तीरन, श्रीमती एम.एस.के. भवानी (रामनाथपुरम)

राजेन्द्र कुमार, श्री (हरिद्वार)

राजेन्द्रन, श्री पी. (क्विलोन)

राणा, श्री काशीराम (सूरत)

राणा, श्री गुरजीत सिंह (जालंधर)

राणा, श्री रबिन्दर कुमार (खगड़िया)

राणा, श्री राजू (भावनगर)

राधाकृष्णन, श्री वरकला (चिरायिंकिल)

रानी, श्रीमती के. (रासीपुरम)

रामकृष्णा, श्री बाडिगा (मछलीपत्तनम)

रामचन्द्रन, श्री जिन्जी एन. (वन्डावासी)

रामदास, प्रो. एम. (पांडिचेरी)

राव, श्री के.एस. (एलूरू)

राव, श्री के. चन्द्रशेखर (करीमनगर)

राव, श्री डी. विट्टल (महबूब नगर)

राव, श्री ई. दयाशंकर (वारंगल)

राव, श्री पी. चलपति (अनकापल्ली)

राव, श्री रायापति सांबासिवा (गुंटूर)

रावत, प्रो. रासा सिंह (अजमेर)

रावत, श्री अशोक कुमार (मिसरिख)

रावत, श्री कमला प्रसाद (बाराबंकी)

रावत, श्री धनसिंह (बांसवाड़ा)

रावत, लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) तेज पाल सिंह (गढ़वाल)

रावले, श्री मोहन (मुम्बई दक्षिण–मध्य)

रिजीजू, श्री कीरेन (अरुणाचल पश्चिम)

रियान, श्री बाजू बन (त्रिपुरा पूर्व)

रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव (परभनी)

रेड्डी, श्री अनन्त वेंकटरामी (अनन्तपुर)

रेड्डी, श्री ए. इंद्र करण (आदिलाबाद)

रेड्डी, श्री एन. जनार्दन (विशाखापतनम)

रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन (नरसारावपेट)

रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु (ओंगोले)

रेड्डी, श्री एस. जयपाल (मिरयालगुडा)

रेड्डी, श्री एस.पी.वाई. (नांदयाल)

रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी. (कुरनूल)

रेड्डी, श्री वाई.एस. विवेकानन्द (कुडप्पा)

रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर (नालगौंडा)

लक्ष्मण, श्रीमती सुशीला बंगारु (जालौर)

लालू प्रसाद, श्री (छपरा)

लाहिरी, श्री समिक (डायमंड हार्बर)

लिब्रा, सरदार सुखदेव सिंह (रोपड़)

वरकटकी, श्री नारायण चन्द्र (मंगलदोई)

वर्मा, श्री बेनी प्रसाद (कैसरगंज)

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह (जालौन)

वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास (धन्धुका)

वर्मा, श्री रवि प्रकाश (खीरी)

वर्मा, श्री राजेश (सीतापुर)

वर्मा, श्रीमती ऊषा (हरदोई)

वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी (तेनाली)

वसावा, श्री मनसुखभाई डी. (भरूच)

वाघमारे, श्री सुरेश (वर्धा)

वाघेला, श्री शंकर सिंह (कपड़वंज)

वारसी, श्री अनिल शुक्ल (बिल्हौर)

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (लखनऊ)

विजयन, श्री ए.के.एस. (नागापट्टिनम)

विजयशंकर, श्री सी.एच. (मैसूर)

विनोद कुमार, श्री बी. (हनमकोंडा)

विरूपाक्षप्पा, श्री के. (कोप्पल)

वीरेन्द्र कुमार, श्री (सागर)

वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी. (कालीकट)

वुन्डावली, श्री अरूण कुमार (राजामुंदरी)

वेंकटपति, श्री के. (कुड्डालोर)

वेंकटस्वामी, श्री जी. (पेद्दापल्ली)

वेणुगोपाल, श्री डी. (तिरूपत्तूर)

वेलु, श्री आर. (अर्कोनम)

शंकर, श्री भीष्म उर्फ कुशल तिवारी (खलीलाबाद)

शर्मा, डा. अरविन्द (करनाल)

शर्मा, डा. अरूण कुमार (लखीमपुर)

शर्मा, श्री मदन लाल (जम्मू)

शहाबुद्दीन, डा. मोहम्मद (सिवान)

शांडिल्य, डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम (शिमला)

शाक्य, श्री रघुराज सिंह (इटावा)

शाहीन, श्री अब्दुल रशीद (बारामूला)

शिवनकर, प्रो. महादेवराव (चिमूर)

शिवन्ना, श्री एम. (चामराजनगर)

शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील (खेड़)

शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन (करीमगंज)

शुक्ला, श्रीमती करूणा (जाजगीर)

शेखर, श्री नीरज (बलिया)

शेरवानी, श्री सलीम (बदायूं)

शैलेन्द्र कुमार, श्री (चायल)

संगमा, कुमारी अगाथा के. (तुरा)

सईदा, श्रीमती रूबाब (बहराइच)

सज्जन कुमार, श्री (बाहरी दिल्ली)

सतीदेवी, श्रीमती पी. (बडागरा)

सर, श्री निखिलानन्द (बर्दवान)

सरडगी, श्री इकबाल अहमद (गुलबर्गा)

सरोज, श्री तूफानी (सैदपुर)

सरोज, श्री दरोगा प्रसाद (लालगंज)

सत्पथी, श्री तथागत (ढेंकानाल)

सत्यनारायण, श्री सर्वे (सिद्दीपेट)

सलीम, मोहम्मद (कलकत्ता उत्तर–पूर्व)

सहाय, श्री सुबोध कांत (रांची)

सांगवान, श्री किशन सिंह (सोनीपत)

साई प्रताप, श्री ए. (राजमपेट)

साय, श्री नन्द कुमार (सरगुजा)

साय, श्री विष्णु देव (रायगढ़)

सारदीना, श्री फ्रांसिस्को कोज्मी (मर्मुगाओ)

साहु, श्री चंद्रशेखर (बरहामपुर, उड़ीसा)

साहू, श्री ताराचंद (दुर्ग)

सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव (गुना)

सिंधिया, श्रीमती यशोधरा राजे (ग्वालियर)

सिंह, कुंवर मानवेन्द्र (मथुरा)

सिंह, कुंवर सर्व राज (आंवला)

सिंह, चौधरी लाल (उधमपुर)

सिंह, चौधरी विजेन्द्र (अलीगढ़)

सिंह, डा. रघुवंश प्रसाद (वैशाली)

सिंह, डा. राम लखन (भिण्ड)

सिंह, राव इन्द्रजीत (महेन्द्रगढ़)

सिंह, श्री अक्षय प्रताप (प्रतापगढ़)

सिंह, श्री अखिलेश प्रसाद (मोतिहारी)

सिंह, श्री अजित (बागपत)

सिंह, श्री उदय (पूर्णिया)

सिंह, श्री कल्दाण (बुलन्दशहर)

सिंह, श्री कीर्ति वर्धन (गोंडा)

सिंह, श्री गणेश (सतना)

सिंह, श्री गणेश प्रसाद (जहानाबाद)

सिंह, श्री चन्द्रभूषण (फर्रूखाबाद)

सिंह, श्री देवव्रत (राजनन्दगांव)

सिंह, श्री दुष्यंत (झालावाड़)

सिंह, श्री मानवेन्द्र (बाड़मेर)

सिंह, श्री मानिक (सीधी)

सिंह, श्री मोहन (देवरिया)

सिंह, श्री राकेश (जबलपुर)

सिंह, श्री रामपाल (विदिशा)

सिंह, श्री रेवती रमन (इलाहाबाद)

सिंह, श्री लक्ष्मण (राजगढ़)

सिंह, श्री विजयेन्द्र पाल (भीलवाड़ा)

सिंह, श्री सीताराम (शिवहर)

सिंह, श्री सुग्रीव (फूलबनी)

सिंह, श्री सूरज (बलिया, बिहार)

सिंह, श्रीमती कान्ति (आरा)

सिंह, श्रीमती प्रतिभा (मंडी)

सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी (बोलनगीर)

सिकदर, श्रीमती ज्योतिर्मयी (कृष्णनगर)

सिद्दीश्वर, श्री जी.एम. (दावणगेरे)

सिद्धू, श्री नवजोत सिंह (अमृतसर)

सिप्पीपारई, श्री रविचन्द्रन (शिवकाशी)

सिब्बल, श्री कपिल (चांदनी चौक)

सील, श्री सुधांशु (कलकत्ता उत्तर–पश्चिम)

सुगावनम, श्री ई. जी. (कृष्णागिरि)

सुजाता, श्रीमती सी.एस. (मवेलीकारा)

सुब्बा, श्री मणी कुमार (तेजपुर)

सुब्बारायण, श्री के. (कोयम्बटूर)

सुमन, श्री रामजीलाल (फिरोजाबाद)

सुम्बरूई, श्री बागुन (सिंहभूम)

सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा (अडूर)

सूर्यवंशी, श्री नरसिंगराव हु. (बीदर)

सेठ, श्री लक्ष्मण (तामलुक)

सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)

सेनथिल, डा. आर. (धर्मपुरी)

सेन, श्रीमती मिनाती (जलपाईगुड़ी)

सेलवी, श्रीमती वी. राधिका (तिरूचेन्दूर)

सोनोवाल, श्री सर्वानन्द (डिब्रूगढ़)

सोरेन, श्री शिबु (दुमका)

सोलंकी, श्री भरतसिंह माधवसिंह (आनन्द)

सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह (गोधरा)

स्वाईं, श्री खारबेल (बालासोर)

हनुमनथप्पा, श्री एन.वाई. (चित्रदुर्ग)

हमज़ा, श्री टी.के. (मंजेरी)

हर्ष कुमार, श्री जी.वी. (अमलापुरम)

हान्डिक, श्री विजय (जोरहाट)

हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह (रोहतक)

हुसैन, श्री अनवर (घूबरी)

हुसैन, श्री अब्दुल मन्नान (मुर्शिदाबाद)

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज (भागलपुर)

हेगड़े, श्री अनंत कुमार (कनारा)

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमीत कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

मंत्रिपरिषद्

मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री

डा. मनमोहन सिंह	प्रधानमंत्री तथा उन मंत्रालयों/विभागों के भी प्रभारी जो विनिर्दिष्टया किसी अन्य मंत्री को आबंटित नहीं किए गए हैं, जैसे: 1. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय; 2. योजना मंत्रालय; 3. परमाणु ऊर्जा विभाग; 4. अंतरिक्ष विभाग; 5. कोयला मंत्रालय; 6. पर्यावरण और वन मंत्रालय; 7. सूचना और प्रसारण मंत्रालय
श्री प्रणब मुखर्जी	विदेश मंत्री और वित्त मंत्री
श्री अर्जुन सिंह	मानव संसाधन विकास मंत्री
श्री शरद पवार	कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री
श्री लालू प्रसाद	रेल मंत्री
श्री ए.के. एंटनी	रक्षा मंत्री
श्री ए.आर. अंतुले	अल्पसंख्यक मामले मंत्री
श्री सुशील कुमार शिंदे	विद्युत मंत्री
श्री राम विलास पासवान	रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री
श्री एस. जयपाल रेड्डी	शहरी विकास मंत्री
श्री शीश राम ओला	खान मंत्री
श्री पी. चिदम्बरम	गृह मंत्री
श्री महावीर प्रसाद	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री
श्री पी.आर. किन्डिया	जनजातीय कार्य मंत्री
श्री टी.आर. बालू	पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
श्री शंकरसिंह वाघेला	वस्त्र मंत्री
श्री वायालार रवि	प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री
श्री कमल नाथ	वाणिज्य और उद्योग मंत्री
श्री हंस राज भारद्वाज	विधि और न्याय मंत्री
श्री संतोष मोहन देव	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री

प्रो. सैफुद्दीन सोज़	जल संसाधन मंत्री
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	ग्रामीण विकास मंत्री
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	निर्विभाग मंत्री
श्री मणि शंकर अय्यर	पंचायती राज मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री
श्रीमती मीरा कुमार	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
श्री मुरली देवरा	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री
श्रीमती अम्बिका सोनी	पर्यटन और संस्कृति मंत्री
श्री ए. राजा	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
डा. अंबुमणि रामदास	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
श्री कपिल सिब्बल	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री
श्री प्रेमचंद गुप्ता	कॉर्पोरेट कार्य मंत्री

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

श्री ऑस्कर फर्नांडिस	श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्रीमती रेंनुका चौधरी	महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री
श्री सुबोध कांत सहाय	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री विलास मुत्तेमवार	अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री
कुमारी सैलजा	आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री
श्री प्रफुल पटेल	नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री जी.के. वासन	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री
डॉ. एम.एस. गिल	युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री

राज्य मंत्री

श्री ई. अहमद	विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री विजय हान्डिक	रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
डा. शकील अहमद	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
राव इन्द्रजीत सिंह	रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री नारनभाई रठवा	रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री के. एच. मुनियप्पा	पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री कांतिलाल भूरिया	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री पृथ्वीराज चव्हाण	प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री तस्लीमुद्दीन	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी	मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री आर. वेलु	रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम	वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री एस. रघुपति	पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री के. वेंकटपति	विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन	सामाजिक न्याय और अधिकारित मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन	वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती कान्ति सिंह	पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री नमोनारायन मीना	पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री जय प्रकाश नारायण यादव	जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री
डा. अखिलेश प्रसाद सिंह	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री पवन कुमार बंसल	वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री आनन्द शर्मा	विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री अजय माकन	शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री दिनशा पटेल	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री एम.एम. पल्लम राजू	रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री अश्विनी कुमार	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री
श्री जयराम रमेश	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री चन्द्रशेखर साहू	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी	मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री एम.एच. अम्बरीश	सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती वी. राधिका सेलवी	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री वी. नारायणसामी	संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री संतोष बागडोदिया	कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री रघुनाथ झा	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री
डा. रामेश्वर उरांव	जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री
कुंवर जितिन प्रसाद	इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री

लोक सभा

गुरुवार, 12 फरवरी, 2009/23 माघ, 1930 (शक)

लोक सभा अपराह्न 12.50 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

राष्ट्रगान

(राष्ट्रगान की धुन बजाई गई)

अपराह्न 12.51 बजे

राष्ट्रपति का अभिभाषण

[अनुवाद]

महासचिव : मैं, 12 फरवरी, 2009 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण की एक प्रति समापटल पर रखता हूं।

राष्ट्रपति का अभिभाषण*

**माननीय सदस्यगण,

आपको और हमारी जनता को मेरी शुभकामनाएं। मैं, सबकी ओर से, प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह को शुभकामनाएं देती हूं। हमें इस बात की खुशी है कि आपके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। हम कामना करते हैं कि आप जल्द स्वस्थ हों और अपनी अहम जिम्मेदारियों का निर्वहन करते रहें। हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा सतर्क रहने वाले हमारे सुरक्षा बलों के सदस्यों को भी मेरा विशेष अभिवादन। हम एक ऐसे संघर्षमय वर्ष से गुजरे हैं जिसने हमारी खुली अर्थव्यवस्था और खुले समाज को चुनौती दी। एक ऐसा वर्ष जिसने सामुदायिक सद्भावना, सहनशीलता, सहृदयता, न्याय और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के हमारे शाश्वत सिद्धांतों की अग्निपरीक्षा ली।

विगत को देखकर हम आशावान हैं। हमने न सिर्फ चुनौतियों का सामना किया है वरन् उन पर काबू करते हुए और भी सशक्त हुए हैं। आम जनता में एकजुटता की भावना आने से हम देश के सामने आने वाली आतंकवादी हिंसा की चुनौती से उबर पाए हैं। हमारी सरकार द्वारा शुरू किए गए सुआकलित और बुद्धिमत्तापूर्ण आर्थिक सुधार वैश्विक आर्थिक मंदी के अत्यंत प्रतिकूल प्रभावों से बचने में हमारी मदद कर रहे हैं।

इन दोनों विघटनकारी स्थितियों में लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति हमारी सतत प्रतिबद्धता ही हमारी ताकत रही है। हमारे आर्थिक सुधारों को हमारे विवेकशील लोकतंत्र के जरिए उत्प्रेरणा मिली है। हमारी लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली के कारण ही हमारे राष्ट्रवाद के समक्ष आने वाली चुनौतियों को मुंह की खानी पड़ी। जम्मू और कश्मीर की राज्य विधान सभा में शांतिपूर्ण माहौल में मतदान के लिए भारी संख्या में उमड़ी जनता अपने–आप में लोकतंत्र के प्रति उनके विश्वास तथा आतंकवाद और हिंसा के प्रति उनके अविश्वास को दर्शाता है। ये चुनाव इस राज्य की जनता के लिए नई आशाएं लेकर आए हैं।

हमारे क्रियाशील लोकतंत्र ने मेरी सरकार के कार्य का मूल्यांकन करने के लिए सटीक मानक निर्धारित किए हैं। जनता सरकार का मूल्यांकन उसके कथनों से न करके उसके कृत्यों से करती है। लोकतंत्र में सरकार का मूल्यांकन एक सरल सिद्धांत पर होता है – आम आदमी को क्या मिला? जब इस सरकार में लोकतांत्रिक पंथनिरपेक्ष और प्रगतिशील शक्तियां साथ आईं तो इसने एक राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाकर अपने–आप को जनता के प्रति जवाबदेह बनाया। आज लगभग पांच वर्ष सत्ता में रहते हुए मेरी सरकार का यह विश्वास है कि उसने राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के जरिए जनता से किए करीब–करीब सभी वादों पर अमल किया है।

मेरी सरकार द्वारा समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में की गई वचनबद्धता को कानूनों, नीतियों और कार्यक्रमों में साकार किया गया है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जनता के काम के अधिकार को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के जरिए सुनिश्चित किया गया। असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 से 43 करोड़ असंगठित कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराना सुगम होगा। सरकार को सूचना का अधिकार अधिनियम से अपनी शासन–व्यवस्था के लिए नागरिकों के सामने जवाबदेह बनाया गया है। अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वननिवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम के जरिए जनजातियों और पारंपरिक वननिवासियों को भूमि–अधिकार प्रदान किए गए तथा उनके साथ अतीत में हुए अन्याय को समाप्त किया गया। केंद्रीय शैक्षिक संस्थाएं (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम ने शैक्षिक संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया है। शिक्षा के अधिकार पर विधेयक पुनर्व्यवस्थापन

---

*सभापटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. – 10444/2009

**राष्ट्रपति ने अपना अभिभाषण केन्दीय कक्ष में अंग्रेजी में दिया। अभिभाषण का हिन्दी पाठ उपराष्ट्रपति द्वारा पढ़ा गया।

और पुनर्वास पर एक नए विधेयक सहित भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन के लिए एक विधेयक तथा लोक सभा एवं राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए आरक्षण मुहैया कराने वाला संविधान संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत किए जा चुके हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जो अब पूरे देश में लागू है, पूरे विश्व में पहला ऐसा प्रयास है जहां किसी देश ने नागरिकों के किसी भी वर्ग को निश्चित दिनों के लिए रोजगार की गारंटी दी है। 2007–08 में, लगभग 3.4 करोड़ ग्रामीण परिवारों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार मुहैया कराया गया। जिनको काम दिया गया, उनमें से 55 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के थे तथा 49 प्रतिशत महिलाएं थीं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 46 लाख से अधिक काम प्रारंभ किए गए हैं जिनमें से 19 लाख काम पूरे कर लिए गए हैं। 2008–09 में 83 प्रतिशत काम जल संरक्षण, सिंचाई और भूमि विकास से संबंधित रहे जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई। इस कार्यक्रम को पंचायत के जरिए लागू करने से मूलभूत लोकतंत्र मजबूत हुआ है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत भुगतान डाकघरों और बैंक खातों के द्वारा किया जाता है और इस समय लगभग 6 करोड़ खाताधारक हैं जिससे उनका वित्तीय व्यवस्था में शामिल होना एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। गरीबों को उपभोग खर्च मुहैया कराने और उसके साथ–साथ ग्रामीण उत्पादकता और आमदनी बेहतर बनाने के दोनों उद्देश्यों को जोड़ने वाले इस कार्यक्रम को एक भारतीय नवप्रयोग के रूप में पूरे विश्व में ध्यानपूर्वक देखा जा रहा है। पिछले तीन वर्षों में, इस कार्यक्रम के परिणामों से पता चलता है कि पूरे देश में कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई है। जब भारत गणतंत्र के साठवें वर्ष में प्रवेश कर रहा है ऐसे समय में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम भारत को एक कार्यशील गणतंत्र की ओर ले जा रहा है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के साथ–साथ, प्रारंभ की गई आम आदमी बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना तथा संशोधित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम, जो अब गरीबी रेखा से नीचे के सभी बुजुर्गों तक पहुंचा दी गई है, के द्वारा सामाजिक सुरक्षा ढांचे को और सुदृढ़ बनाया गया है।

मेरी सरकार ने कृषि, जिस पर हमारी जनसंख्या का 60 प्रतिशत हिस्सा निर्भर है, के पुनरूद्धार के द्वारा ग्रामीण भारत को एक नई व्यवस्था देने का वचन दिया था। कृषि क्षेत्र में सावधानीपूर्वक तैयार की गई नीतियों द्वारा हम निम्न निवेश, निम्न उत्पादकता और ग्रामीण ऋणग्रस्तता के फंदे से कृषि अर्थव्यवस्था को उबारने में सफल रहे हैं। मेरी सरकार ने कृषि क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण को 2003–2004 में 87,000 करोड़ रुपए से 2007–2008 में 2,43,000 करोड़ रुपए तक तीन गुना बढ़ा दिया है। लघु–अवधि कृषि ऋण के ब्याज को सरकारी सहायता के जरिए 7 प्रतिशत की वहन करने योग्य दर पर ला दिया गया है। मेरी सरकार ने बुरे वक्त के शिकार 3.7 करोड़ किसानों के ऋण चक्र को पुनःव्यवस्थित करने के लिए उन पर लगभग 65,000 करोड रुपए के बकाया कर्ज को माफ कर दिया। न्यूनतम समर्थन मूल्य में अभूतपूर्व वृद्धि करके किसानों को लाभकारी मूल्य दिए गए। इसके तहत गेहूं के लिए 2004 में न्यूनतम समर्थन मूल्य को 630 रुपए से बढाकर 2009 में 1080 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया तथा धान के लिए 2004 में 550 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2008 में बोनस सहित 900 रुपए कर दिया गया। कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियमों में संशोधन से एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के प्रयास फलीभूत होने लगे हैं। कृषि में निवेश सकल घरेलू उत्पाद के 10.2 प्रतिशत से बढ़कर 12.5 प्रतिशत हो गया है।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन द्वारा कृषि विविधता को बढ़ावा दिया गया तथा शुष्क भूमि से उत्पादन बढ़ाने के लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने हेतु एक राष्ट्रीय वर्षासिंचित क्षेत्र प्राधिकरण की स्थापना की गई। उत्पादन तथा फसल की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए 25,000 करोड़ रुपए के आबंटन के साथ एक राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और 4,822 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की स्थापना की गई। एक विशेष पैकेज के द्वारा संकटग्रस्त जिलों पर विशेष ध्यान दिया गया। बागान फसलों को उगाने वाले किसानों को भी एक विशेष पैकेज दिया गया। मेरी सरकार ने सुनिश्चित किया कि विश्व व्यापार संगठन में दीर्घकालिक वार्ताओं में हमारे किसानों के हितों को पूर्णतया सुरक्षित रखा जाए।

उर्वरक हमारे किसानों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और रसायनों की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि के कारण उर्वरकों की कीमतें कई गुना बढ़ गईं। फिर भी मेरी सरकार ने पिछले पांच वर्षों में एक बार भी उर्वरकों की कीमतें नहीं बढ़ाईं। साथ ही भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशों में उर्वरक इकाइयों में निवेश से उचित कीमतों पर विदेशों से उर्वरक की सुरक्षित आपूर्ति के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इस प्रयोजन हेतु उर्वरक विदेश लिमिटेड नामक एक विशेष प्रयोजन माध्यम को भी निगमित किया गया है।

इन सम्मिलित प्रयासों के फलस्वरूप, इस वर्ष कृषि क्षेत्र 4.5 प्रतिशत बढ़ा है। 2004 से 2008 के बीच लगभग सभी फसलों में उत्पादन बढ़ा है। गेहूं के संबंध में, यह 2004 में 68 मिलियन टन से बढ़कर 2008 में 78 मिलियन टन हो गया, धान के मामले में, यह 2004 में 83 मिलियन टन से बढ़कर 2008 में 96 मिलियन टन हो गया, कपास के मामले में यह 2004 में 164 लाख गांठों से बढकर 2008

में 258 लाख गांठ हो गया तथा सोयाबीन के मामले में 2004 में 68 लाख टन से बढ़कर 2008 में 99 लाख टन हो गया। फार्मर–फस्ट पॉलिसी के माध्यम से देश 2007–08 में 230.67 मिलियन टन खाद्यान्न के रिकॉर्ड उत्पादन को प्राप्त करने तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में समर्थ रहा है।

गांवों में आधारभूत सुविधाओं की कमी होने से फार्म और ग्रामीण गैर–फार्म रोजगार के लिए अवसर उपलब्ध नहीं हो पाते। ग्रामीण आधारभूत संरचना हेतु हमारी समयबद्ध योजना भारत निर्माण के द्वारा इस समस्या को समयबद्ध रूप से हल किया गया। भारत निर्माण के अंतर्गत 5.6 मिलियन हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया गया है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को चालू सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। सामुदायिक स्तर जल सुरक्षा में वृद्धि के लिए मेरी सरकार ने जल–निकायों की मरम्मत, पुर्ननवीकरण तथा पुनरूद्धार के लिए एक बृहत् कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इसी के साथ–साथ 14 बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में हाथ में लिया गया है तथा उन्हें भारत सरकार से 90 प्रतिशत अनुदान सहायता मिल रही है। राज्यों के साथ सहमति के जरिए, केन–बेतवा, पार–तापी–नर्मदा और दमन गंगा–पिंजल जैसी नदी–संयोजन परियोजनाएं आगे बढ़ी हैं।

ग्रामीण सड़क कार्यक्रम के अन्तर्गत किसानों को बाजार से जोड़ने के लिए 25,000 गांवों में कार्य पूर्ण किया जा चुका है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अधीन 50,000 से अधिक गांवों को बिजली उपलब्ध कराई जा चुकी है। आज हमारे 98 प्रतिशत गांवों में टेलीफोन कनेक्टिविटी है और ग्रामीण भारत में मोबाइल टेलीफोनी तेजी से फैल रही है। भारत निर्माण के इंदिरा आवास योजना घटक के अधीन, 60 लाख घर बनाए जाने थे जो लक्ष्य पहले ही प्राप्त किया जा चुका है तथा 16 लाख और घर निर्माणाधीन हैं। इस कार्यक्रम के तहत ग्रामीण जलापूर्ति का विस्तार और इसके लिए मुद्दैया निधि में भी काफी वृद्धि की गयी है। भारत निर्माण ने ग्रामीण भारत को विकास प्रक्रिया की मुख्य धारा में लाने तथा इसकी क्षमता के खुलकर साकार होने में मदद की है।

पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल का अभाव ग्रामीण निर्धनता का एक मुख्य कारण रहा है। मेरी सरकार ने एक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया है। यह मिशन गांवों में स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सेवाओं में आमूल परिवर्तन ला रहा है। ग्रामीण परिवारों की मूलभूत स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 6 लाख से अधिक अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं अथवा 'आशा' का एक वृहत् नेटवर्क तैयार किया गया है। उप स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की ग्रामीण सार्वजनिक स्वास्थ्य आधारभूत संरचना को भी काफी सुदृढ़ किया गया है। इन प्रयासों की सफलता इस सच्चाई से परिलक्षित होती है कि जब से मिशन ने अपना कार्य प्रारंभ किया है तब से संस्थागत प्रसूति सात गुना बढ़ गई है और इससे मातृ और नवजात मृत्यु दर में भी कमी आई है। अभी भी हमें बहुत कुछ करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में, स्वास्थ्य हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण, पूर्णस्वच्छता के लिए चलाए गए अभियान ने अभूतपूर्व सफलता अर्जित की है और इसका विस्तार–क्षेत्र 2004 में 27 प्रतिशत से बढ़कर इस वर्ष जनवरी तक 60 प्रतिशत हो गया है। निर्मल ग्राम पुरस्कार के जरिए स्वच्छता अभियान को बढ़ावा मिला है। 17,969 पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए गए और सिक्किम देश का प्रथम निर्मल राज्य बन गया है। चिकित्सीय अनुसंधान तथा एड्स नियंत्रण के लिए पृथक विभाग बनाए गए हैं और उपभोक्ता संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए एक खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने काम करना शुरू कर दिया है। सरकार चुनिंदा बड़े शहरों से शुरू करके शहरी गरीबों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं पर फोकस करने के लिए एक राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन बनाने पर विचार कर रही है।

औषधियां और औषध निर्माण स्वास्थ्य देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मेरी सरकार ने एक पृथक औषध निर्माण विभाग बनाया है तथा आवश्यक और प्राणरक्षक औषधियों की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए कारगर कदम उठाए हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण थोक औषधि फॉर्मूलेशन्स तथा एंटीबॉयोटिक्स के विनिर्माण के लिए स्थापित किए गए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का पुनरूत्थान किया गया है। औषध निर्माण में शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने छः स्थानों पर राष्ट्रीय औषध निर्माण शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों की स्थापना की है।

प्रारंभिक शिक्षा में शैक्षिक सुविधाओं की कमी को सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से काफी हद तक पूरा कर लिया गया है। प्राथमिक शिक्षा लगभग हर जगह उपलब्ध है, अब फोकस गुणता को बढ़ाने पर है। विद्यालय में प्रवेश की संख्या 2004 में 15.6 करोड़ बच्चों से बढ़कर 2008 में 18.5 करोड़ हो गई है। विद्यालय में प्रवेश न लेने वाले बच्चों की संख्या 2004 में 320 लाख से कम होकर 2008 में 76 लाख रह गई। मेरी सरकार द्वारा बच्चों को स्कूलों में रोके रखने के लिए प्रोत्साहन के रूप में लागू किए गए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में पिछले वर्ष 15 करोड़ बच्चों को भोजन उपलब्ध कराया गया। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्यों को दी गई सहायता से 8 लाख से अधिक अध्यापक भर्ती किए गए। प्रारंभिक शिक्षा के लगभग सर्वव्यापक होने की वजह से उत्पन्न मांग को पूरा करने के लिए मेरी सरकार ने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के द्वारा माध्यमिक शिक्षा के लिए एक उतने ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की घोषणा की है और 6 हजार मॉडल स्कूलों को गुणता के प्रतीकों के रूप में देश भर में स्थापित भी किया जा रहा है।

सरकार सूक्ष्म वित्तपोषण द्वारा महिलाओं के सशक्तीकरण पर ध्यान देती रही है। स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत महिलाओं के लिए स्व–रोजगार को बढ़ावा दिया जाता है। स्थापित किए गए लगभग 31 लाख स्वयं–सहायता समूहों के सदस्यों में से दो–तिहाई महिलायें हैं। मेरी सरकार तीव्र सामाजिक–आर्थिक विकास और महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए राज्यपालों की समिति की सिफारिशों पर विचार कर रही है।

नवजात शिशुओं और छः वर्ष से कम आयु के बच्चों पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। एकीकृत बाल विकास सेवाएं कार्यक्रम को सर्वव्यापक बनाने के लिए अत्यंत उच्च प्राथमिकता दी गई है और लगभग 11 लाख बस्तियों को अब इसमें शामिल किया जा चुका है। इसमें शामिल बच्चों की संख्या विगत चार वर्षों में दुगुनी हो गई है और लगभग 8 करोड़ बच्चे और माताएं अब पूरक आहार प्राप्त कर रहे हैं। यद्यपि इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने तथा सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। मेरी सरकार ने बाल अधिकारों के संरक्षण के जरिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना भी की है।

मेरी सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों जैसे विशिष्ट वर्गों को लक्षित करने वाले कार्यक्रमों के जरिए सामाजिक समावेशिता को सुदृढ़ बनाया गया है। शिक्षा ही इन वर्गों के सशक्तीकरण की कुंजी है। मापदण्डों का पुनरीक्षण करते हुए चालू छात्रवृत्ति कार्यक्रमों को काफी बढ़ाया गया है। प्रतिवर्ष लगभग 6.5 लाख विद्यार्थी, मुख्यतया सफाई कर्मचारियों के परिवारों के विद्यार्थियों को प्री–मैट्रिक छात्रवृत्तियां दी जाएंगी। अनुसूचित जनजातियों के लगभग 10.50 लाख विद्यार्थियों और अनुसूचित जातियों के 35 लाख विद्यार्थियों को पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्तियां दी जाएंगी। प्री–मैट्रिक और पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्तियां अन्य पिछड़े वर्गों के 25 लाख विद्यार्थियों को दी जाएंगी। इन वर्गों के लिए विभिन्न नई छात्रवृत्ति स्कीमों की भी स्थापना की गई है। राजीव गांधी अध्येतावृत्ति कार्यक्रम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को एम.फिल. और डॉक्टरेट स्तरों पर अनुसंधान अध्ययन करने में सहायता करता है। प्रतिवर्ष 3 नई छात्रवृत्ति स्कीमों के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायों के औसतन 8 लाख विद्यार्थी शामिल किए जाएंगे। प्रतिवर्ष बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लगभग 11 लाख छात्रवृत्तियां दी जाएंगी। प्रतिवर्ष विज्ञान के लिए प्रतिभाओं की शीघ्र खोज स्कीम के अंतर्गत 2 लाख छात्रवृत्तियां दी जाएंगी। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए एक अन्य छात्रवृत्ति स्कीम प्रतिवर्ष 82,000 विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाएगी। इन सभी स्कीमों के जरिए अब प्रतिवर्ष एक करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां मिलने लगेंगी। पहली बार, मेरी सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों को शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण प्रदान किया गया।

अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक और आर्थिक समावेश को और मजबूत बनाने के लिए मेरी सरकार ने एक नया अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय बनाया और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नये 15 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की। सरकार द्वारा गठित सच्चर समिति ने मुस्लिमों की स्थिति का समेकित रूप से जायजा लिया ताकि सरकार विकास में आई सापेक्ष कमियों को पूरा करने में समर्थ हो सके।

सरकार द्वारा दी गई पहलों से इस वर्ष अल्पसंख्यक समुदायों के लगभग 8 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी जाएंगी। अगले 4 वर्षों के दौरान यह संख्या लगभग 40 लाख विद्यार्थियों तक पहुंच जाएगी। अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में 10 हजार से अधिक नए प्राथमिक विद्यालयों और उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण किया गया है। अल्पसंख्यक समुदायों के उद्यमियों को स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत सहायता उपलब्ध कराई गई है। 2008–09 के दौरान अल्पसंख्यकों को इंदिरा आवास योजना के अधीन 2.39 लाख घर आबंटित किए गए हैं। अल्पसंख्यकों को ऋण की उपलब्धता तीव्रता से बढ़ी है और आशा है कि यह बढ़कर 15 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अल्पसंख्यक बहुल जिलों में 500 से अधिक शाखाएं खोली हैं। सामाजिक–आर्थिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक बहुल जिलों में विकास अंतरालों को पाटने की दृष्टि से देश के 90 अल्पसंख्यक बहुल जिलों में एक बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है। सार्वजनिक सेवाओं, अर्द्धसैनिक बलों, रेलवे, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व विगत दो वर्षों में काफी बढ़ा है।

समाज में विकलांगों की आवश्यकताएं किसी भी सरकार के लिए एक विशेष चिंता का विषय होना चाहिए। इस वर्ग के लोगों के सम्मुख आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखकर मेरी सरकार ने विकलांगों के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाई है जिसे अब लागू किया जा रहा है। विकलांगों के लिए विशेष विद्यालयों के अतिरिक्त सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विद्यालय, विकलांग बच्चों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने की व्यवस्था करेंगे। सार्वजनिक सेवाओं में विकलांगों के लिए रोजगार के प्रावधान को अखिल भारतीय सेवाओं में भी लागू किया गया।

जब मेरी सरकार सत्ता में आई तो देश के कई हिस्सों में बुनकरों की तंगहाली चिन्ताजनक थी। एक समेकित पैकेज जिसमें प्रौद्योगिकी, ऋण एवं विपणन सहायता के प्रावधान के साथ–साथ स्वास्थ्य बीमा भी है, बुनकरों को प्रदान किया गया। समूह–आधारित विकास योजनाएं

चलाई जा रही हैं। वस्त्र उन्नयन स्कीम के अन्तर्गत फोस्ट–कोटा तंत्र से लाभ उठाने के लिए वस्त्र उद्योग को आधुनिक बनाया गया है।

हमारे युवाओं को अपेक्षित रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए उद्योग और सेवाओं में तीव्र वृद्धि अनिवार्य है। मेरी सरकार ने ऐसी समुचित नीतियां बनाई हैं जिनसे विकास और रोजगार अवसरों को बढ़ावा मिला है। विशेषकर मेरी सरकार ने विशेष आर्थिक जोन अधिनियम बनाया है जिसने पहले ही 90 हजार करोड़ रुपए के वर्धमान निवेश को सुगम बनाया है और 7 लाख से अधिक व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार उत्पन्न किए हैं। मेरी सरकार ने दिल्ली और मुंबई के बीच डैडिकेटेड रेलवे फ्रैट कॉरीडोर के साथ–साथ एक औद्योगिक कॉरीडोर विकसित करने के लिए दिल्ली–मुंबई औद्योगिक कॉरीडोर विकास निगम (डीएमआईसीडीसी) गठित किया है। प्रस्तावित औद्योगिक कॉरीडोर देश के छः राज्यों से गुजरेगा तथा संबंधित राज्यों के परामर्श से विनिर्दिष्ट स्थानों पर अवसंरचना सुविधाएं विकसित की जाएंगी। मेरी सरकार पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रो–रसायन क्षेत्र में निवेश क्षेत्रों के विकास के जरिए निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति लाई है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल में पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रो–रसायन निवेश क्षेत्र बनाने की दिशा में काफी प्रगति हुई है।

भारत युवाओं का राष्ट्र है। भारत के जनसांख्यिकीय लाभ को तभी साकार किया जा सकेगा जब देश हमारे युवा वर्ग को नियोजनीय बनाने के लिए दक्षता विकसित करने हेतु निवेश करेगा। यदि कौशल विकास में योजनाबद्ध तरीके से निवेश किया जाए तो देश जब अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा अर्थात् 2022 में भारत के पास विश्व का एक–चौथाई कार्य बल होगा। मेरी सरकार ने कौशल विकास को प्रमुख राष्ट्रीय प्राथमिकता दी है और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद् के माध्यम से कौशल विकास के लिए समन्वित कार्रवाई शुरू की है। कौशल विकास के लिए सरकारी और निजी स्रोतों को सहक्रियात्मक बनाने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास समन्वय बोर्ड और निजी क्षेत्र की अगुआई में कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम भी गठित किए गए हैं।

नई ज्ञान अर्थव्यवस्था में अपनी सक्षमता को पूर्ण रूप से समझते हुए भारत चाहता है कि ऐसे संस्थान बनाए जाएं जो रचनात्मकता और नवसृजनात्मकता को प्रोत्साहन देते हों। यह नेहरूवादी दृष्टिकोण का ही परिणाम है कि हमारी आज़ादी के शुरूआती दशकों में स्थापित किए गए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों ने सॉफ्टवेयर विकास में शताब्दी के अंत तक भारत को विश्व–शक्ति के रूप में उभारा है। मेरी सरकार ने 8 नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, 7 भारतीय प्रबंधन संस्थान, 5 भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान और 15 नए केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना करके उच्चतर शिक्षा में निवेश की दूसरी लहर चलाई है। ग्यारहवीं योजना का मुख्य केन्द्र–बिन्दु है ज्ञान में निवेश करना और इसके लिए आबंटनों को बढ़ाकर चार गुना किया गया है। भारत ज्ञान को एक ऐसे सामरिक संसाधन के रूप में देखता है जो उसे नेतृत्व का दर्जा दिलाएगा। इस तरह इस निवेश से संभावित उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा। मेरी सरकार ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों में प्रतिभा को आकर्षित करने और उसे बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के वेतनमानों की मूलतः पुनर्रचना की है।

मेरी सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ज्ञान संसाधनों का विकास करने एवं उनके आदान–प्रदान के लिए उपयोगी इनपुट्स प्रदान कर रहा है। इसकी सिफारिशों पर कार्रवाई करते हुए, प्रमुख राष्ट्रीय ज्ञान संस्थाओं को जोड़कर एक राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क स्थापित किया जा रहा है और इसका प्रथम चरण शीघ्र ही कार्य करना शुरू कर देगा।

मेरी सरकार ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इनमें एक नए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का सृजन, एक नई मानचित्र नीति का ऐलान, विज्ञान की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इन्स्पायर कार्यक्रम का प्रारंभ तथा नेशनल स्पेशियल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना प्रमुख हैं। जैव–प्रौद्योगिकी के उदीयमान क्षेत्र में 35 प्रतिशत से अधिक की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और आम आदमी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्वास्थ्यरक्षक टीकों तथा कृषि के लिए नए बीजों के विकास को अनुसंधान से सहायता मिली है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नैनोटेक्नॉलॉजी, रोबोटिक्स या जेनोमिक्स जैसे अग्रणी क्षेत्रों पर ध्यान देते हुए सरकार ने खुला स्रोत औषधि खोज कार्यक्रम एवं सीएसआईआर परियोजना 800 जैसी पहलों से सुविधाओं से वंचित लोगों के लिए विशेष प्रयास भी प्रारंभ किए हैं।

हमारे वैज्ञानिकों ने बार–बार यह दर्शाया है कि उनमें विश्व में सर्वोत्तम बनने की क्षमता है। नवंबर, 2008 में चंद्रयान–1 अंतरिक्षयान का चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया जाना विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हमारी प्रतिभा के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इसने भारत का प्रवेश उन चुनिंदा देशों के समूह में करा दिया है जिन्होंने सफलतापूर्वक चंद्रमा पर मिशन भेजे हैं। भारत ने सफलतापूर्वक अठारह मिशन पूरे किए है जिनमें आठ प्रक्षेपण यान मिशन और पी एस एल वी और जी एस एल वी द्वारा छोड़े गए आठ प्रक्षेपण यान शामिल हैं। हमारे उपग्रहों से प्राप्त होने वाले डाटा को बड़े पैमाने पर भूमि और जल संसाधन प्रबंधन, पर्यावरण की मानीटरिंग और प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली है और इसका विदेश में वाणिज्यिक आधार पर सफलतापूर्वक विपणन किया जा रहा है।

सरकार को अधिक जवाबदेह बनाने में सूचना का अधिकार अधिनियम का सकारात्मक प्रभाव रहा है और जनता में इसका व्यापक स्वागत हुआ है। सूचना प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के माध्यम से हमारे प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली को नवीनतम बनाने के अवसर प्रदान करती है। मेरी सरकार ने गांवों में सेवाएं मुहैया कराने वाले एक लाख सामान्य सेवा केन्द्र स्थापित करने के लिए एक कार्यक्रम चलाया है। इनमें से 25,000 केन्द्रों ने कार्य करना शुरू कर दिया है। नागरिकों के लिए विशिष्ट पहचान संख्याएं बनाने और प्रदान करने हेतु भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण गठित किया गया है। यह सुरक्षा के दृष्टिकोण से और साथ ही विकास और कल्याण योजनाओं को लागू करने में भी महत्वपूर्ण है।

मेरी सरकार का विश्वास है कि पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा विकेन्द्रीकृत शासन ही सेवाओं को मुहैया कराने की प्रक्रिया में सुधार कर सकता है और समावेशी विकास को बनाए रख सकता है। केन्द्रीय स्तर पर पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना से पंचायती संस्थाओं को निधियां मुहैया कराने, काम सौंपने तथा कार्यकर्ता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में तेजी आई है। राज्य और केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखने से विकेन्द्रीकृत शासन की संरचना को सुदृढ़ बनाया गया है। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि का उपयोग जिला योजना को संस्थागत बनाने के लिए किया गया है। पंचायत प्रतिनिधि स्थानीय स्तर पर विकास गतिविधियों का नेतृत्व कर रहे हैं। मेरी सरकार द्वारा गठित द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने शासन में सुधार के लिए व्यापक सिफारिशें की हैं जिनमें से कई सिफारिशें विकेन्द्रीकरण से संबंधित हैं।

हमारी जनता को शीघ्र और वहनीय न्याय दिलाने के लिए यह आवश्यक है कि न्यायपालिका की कार्यप्रणाली को सरल बनाया जाए। मेरी सरकार ने न्याय प्रणाली में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय न्यायिक परिषद् स्थापित करने हेतु एक विधेयक पेश किया है। इसने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में 20 प्रतिशत तक की वृद्धि करने के प्रस्ताव को पहले ही स्वीकृति दे दी है। मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या को 25 से बढ़ाकर 30 कर दिया गया है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए इन्हें कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है। मेरी सरकार ने जनता को घर के समीप न्याय मुहैया कराने के लिए ग्राम न्यायालय अधिनियम बनाया है।

यह जानते हुए कि भारत के शहर और छोटे कस्बे आर्थिक विकास का एक मुख्य अंग हैं तथापि इनमें नगरीय सुविधाओं का गहन अभाव है, मेरी सरकार ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन प्रारंभ किया। यह मिशन हमारे शहरी क्षेत्रों के नवीकरण के लिए पहला प्रमुख प्रयास है। इस मिशन के अंतर्गत शामिल किए गए 63 शहरों में से 61 शहरों में 40 हजार करोड़ रुपए से अधिक की लागत की ऐसी परियोजनाएं क्रियान्वयनाधीन हैं जो शहरी विकास योजनाओं पर आधारित हैं। इसके मूलभूत सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबों की पहुंच के अंदर आने वाले 11.7 लाख सस्ते मकानों का निर्माण किया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में निम्न आय वर्ग के लिए आवासों को बढ़ावा देने के लिए आवास ऋणों पर 5 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी दी गई है। मेरी सरकार ने एक शहरी परिवहन नीति प्रारंभ की जिसके अंतर्गत सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जा रहा है। दिल्ली मेट्रो का विस्तार गुड़गांव और नोएडा तक किया जा रहा है और कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरू, चेन्नई और हैदराबाद जैसे प्रमुख शहरों में शहरी रेल प्रणालियों को बढ़ावा दिया गया है। राज्यों को अपने शहरी परिवहन सिस्टम के लिए बसें खरीदने हेतु निधियां उपलब्ध कराई गई हैं।

मेरी सरकार ने पहली बार एक एकीकृत ऊर्जा नीति की घोषणा की। यह नीति ऊर्जा के विभिन्न ईंधनों और तरीकों का प्रयोग करते हुए कारगर, आर्थिक रूप से व्यवहार्य और पर्यावरण की दृष्टि से धारणीय अर्थव्यवस्था के सभी सेक्टरों में ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए मार्गदर्शी होगी। यह नीति न केवल ऊर्जा सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करती है बल्कि एक ऐसा समूचा ढांचा मुहैया कराती है जो समावेशी विकास का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक है।

देश में कोयला ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। मेरी सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में इसका उत्पादन बढ़ाने के अतिरिक्त विभिन्न सरकारी और निजी विद्युत, सीमेंट और स्पंज लोहा कंपनियों को कैप्टिव उपयोग के लिए लगभग 40 बिलियन टन के भंडार वाले 158 कोयला ब्लॉक आबंटित किए हैं। एक नई कोयला वितरण नीति बनाई गई है और सभी को कोयला उपलब्ध कराने के लिए ई–नीलामी शुरू की गई है। कोल इंडिया लिमिटेड को तीव्रता से परियोजना कार्यान्वित करने के लिए नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम में संशोधन करने के लिए संसद में एक विधेयक पेश किया गया है जिससे प्रतिस्पर्धी बोली के द्वारा कोयला खंडों का पारदर्शी आबंटन किया जा सके। देश में तरल ईंधन की तीव्रता से बढ़ रही आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोल–टू–लिक्विड परियोजना शुरू की जा रही है। स्रोत राज्यों के लिए बेहतर राजस्व सुनिश्चित करने के लिए कोयला और लिग्नाईट की रॉयल्टी की दरों में काफी बढ़ोतरी की गई है।

मेरी सरकार ने खनिज स्रोत राज्यों की आवश्यकताओं और इनकी अति संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखते हुए पूर्वेक्षण स्थलों और

खनन हेतु बड़े निवेश को आकर्षित करने और नवीतम प्रौद्योगिकियों के लिए एक नई राष्ट्रीय खनिज नीति तैयार की है।

पिछले चार वर्षों के दौरान तेल और गैस के लिए 112 खोजें की गई हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है अति गहरे जल क्षेत्रों में गैस की पहली बार की गई खोज। रिफाइनिंग क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है और हमारे पेट्रोलियम उत्पाद का निर्यात 2004–05 में 6.6 बिलियन अमरीकी डॉलर से चार गुना बढ़कर 2007–08 में 26.8 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है। लगभग 52 प्रतिशत जनसंख्या को शामिल करते हुए 300 लाख से अधिक नए ग्राहकों को एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराए गए हैं और निम्न आय वाले ग्राहकों के लिए 5 किलोग्राम के सिलेण्डर आरंभ किए गए हैं। सरकार ने ग्राहकों और पेट्रोलियम कम्पनियों के हितों की रक्षा के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड गठित किया है। पेट्रोलियम और ऊर्जा सेक्टरों में अध्ययनों और अनुसंधान के लिए राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया गया है।

पर्यावरण के अनुकूल सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सहित 4,000 मेगावाट की क्षमता वाले कोयला आधारित अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्टों (यूएमपीपी) के विकास के लिए एक प्रमुख पहल की गई है। तीन परियोजनाएं अर्थात् 2007 में मध्य प्रदेश में सासान, 2007 में गुजरात मे मुंद्रा और 2008 में आंध्र प्रदेश में कृष्णापटनम पहले ही सफल बोलीदाताओं को सौंप दी गई हैं और क्रियान्वयन चरण में हैं।

प्रारंम्भ की गई नई जल–विद्युत नीति, 2008 का लक्ष्य निजी विकासकर्ताओं को समान स्तर मुहैया कराना है। इस योजना में, मेजबान राज्य को वर्तमान 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली के अतिरिक्त परियोजना क्षेत्र में स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिए एक प्रतिशत बिजली मुफ्त देने पर विचार किया गया है। परियोजना विकासकर्ता द्वारा परियोजना के प्रारंभ होने की तारीख से 10 वर्षों की अवधि के लिए प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार को संगत वितरण कंपनी के द्वारा 100 यूनिट बिजली प्रतिमाह मुहैया कराई जाएगी।

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए संशोधित निबंधन और शर्तों और 51,577 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) की पुनर्संरचना की गई है। इस कार्यक्रम का फोकस चयनित शहरी क्षेत्रों में वास्तविक प्रदर्शनीय कार्य निष्पादन द्वारा नुकसान को कम करने पर है।

मेरी सरकार ने समग्र ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का हिस्सा बढ़ाने पर जोर दिया है। 1300 एमडब्ल्यूई की कुल क्षमता वाली तीन नाभिकीय विद्युत इकाइयों को ऑनलाइन किया गया है। 3160 एमडब्ल्यूई की कुल क्षमता वाली छः और नाभिकीय विद्युत इकाइयां निर्माण की उन्नत अवस्था में हैं। हम तीन चरणों के नाभिकीय विकास कार्यक्रम के प्रति वचनबद्ध हैं जिससे ऊर्जा उत्पादन के लिए थोरियम का बड़े पैमाने पर उपयोग हो सकेगा। नाभिकीय ऊर्जा के विकास के हमारे दीर्घकालीन कार्यक्रम के एक भाग के रूप में कई नई प्रौद्योगिकियों, जिनमें उन्नत भारी जल रिएक्टर, उच्च ताप वाले रिएक्टर और त्वरित चालित सिस्टम शामिल हैं, का विकास किया जा रहा है।

11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य आधारभूत संरचना में कुल वार्षिक निवेश को सकल घरेलू उत्पाद के 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत करने का है। इससे हमारे देश में आधारभूत संरचना के विकास में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। देश की औद्योगिक प्रगति काफी हद तक उसके द्वारा उत्पादित इस्पात की मात्रा पर निर्भर करती है। भारत अब विश्व में कच्चा इस्पात पैदा करने वाला 5वां सबसे बड़ा देश है और आशा है कि वह 2015 तक इस्पात पैदा करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन जाएगा। उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल राज्य अपने इस्पात उद्योग का विकास करने के लिए बड़े निवेश प्राप्त कर रहे हैं।

मेरी सरकार ने हमारे देश में सड़कों का नेटवर्क बढ़ाया है और राष्ट्रीय राजमार्गों में सुधार किया है। सरकार ने लगभग 34,000 किलोमीटर की कुल लम्बाई वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को उन्नत बनाने के लिए 2,36,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। चार महानगरों को जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज लगभग पूरा होने वाला है। आशा है कि उत्तर–दक्षिण और पूर्व–पश्चिम कॉरीडोर अगले वर्ष के दौरान पूरे हो जाएंगे।

भारतीय रेल ने पिछले चार वर्षों में अपनी कार्यकुशलता और उन्नत सेवाओं के माध्यम से लगातार रिकॉर्ड लाभ अर्जित किया। रेलवे ने नई प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाया है। रेल संपत्ति को सुरक्षित रखने और यात्रियों की रक्षा के लिए राज्यों के प्रयासों में वृद्धि करने के लिए रेल सुरक्षा बल का गठन संघ के सशस्त्र बल के रूप में किया गया है। माल यातायात को ढोने की क्षमता को बढ़ाने के लिए पूर्वी रूट पर कोलकाता और लुधियाना के बीच और पश्चिमी रूट पर मुंबई और दादरी के बीच एक डेडिकेटिड फ्रेट कॉरीडोर का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। डेडिकेटिड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नामक एक विशेष प्रयोजन माध्यम ने पहले ही इस परियोजना पर प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया है। यह परियोजना अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए 28,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 2700 किलोमीटर लम्बी रेल पटरी का निर्माण करेगी।

नागर विमानन सेक्टर का विस्तार और बढ़ रहा हवाई यातायात भारतीय अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण के बोधक हैं। हवाई यात्रा करने वाले लोगों की संख्या 2004 में लगभग 5.7 करोड़ थी जो दोगुनी होकर 2008 में लगभग 11 करोड़ हो गयी। विमानपत्तन आधारभूत संरचना को आधुनिक बनाया जा रहा है। हैदराबाद और बेंगलुरू में विश्वस्तरीय हवाई अड्डे बनाए गए हैं जबकि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में कार्य प्रगति पर है। साथ ही, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा 35 नॉन–मेट्रो विमानपत्तनों को उन्नत बनाया जा रहा है। संसद द्वारा विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम पारित कर दिया गया है।

मेरी सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं कि वहनीय दूरसंचार सेवाओं की पहुंच में काफी विस्तार किया जाए। मेरी सरकार ने कानूनों में संशोधन करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं का तेजी से विस्तार किया है। यह विस्तार ऐसी सेवाओं के लिए निर्मित यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के माध्यम से संभव हुआ है। आज, हरेक तीन व्यक्तियों पर एक फोन कनेक्शन है और लक्ष्य 2010 तक 50 करोड़ कनेक्शन मुहैया कराने का है। मेरी सरकार द्वारा 2004 में शुरू की गई ब्रॉडबैंड पॉलिसी से ब्रॉडबैंड कनेक्शनों की संख्या अति निम्न स्तर से बढ़कर 53 लाख से अधिक हो गयी है।

आर्थिक विकास की नीतियों पर कार्रवाई करते हुए मेरी सरकार ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। पर्यावरण और विकास की चिंताओं में न्यायोचित संतुलन रखने के लिए एक नई पर्यावरण नीति और एक जैवविविधता कार्य योजना चालू की गई है। हमारे पेड़–पौधों और जीव–जंतुओं को बचाव की आवश्यकता है और मेरी सरकार ने भारतीय बाघ और साथ ही वन्य जीवों की अन्य सभी प्रजातियों को बचाने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं। हमारी महान नदियां भी हमारी राष्ट्रीय धरोहर हैं। मेरी सरकार ने उजड़े वनों की 6 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर फिर से वन लगाने संबंधी एक हरित भारत मिशन बनाया है। यह संसार के सबसे बड़े वनीकरण प्रयासों में से एक है। इस कार्यक्रम के लिए संसाधनों का पता लगाने वाला एक प्रतिपूरक वनीकरण निधि विधेयक संसद में विचाराधीन है। सभी भारतीयों के दिलों में गंगा नदी का एक विशेष स्थान है। पिछले कई वर्षों से यह महसूस किया जाता रहा है कि गंगा पर सम्पूर्णता से ध्यान देने की जरूरत है और इसके लिए शहर विनिर्दिष्ट प्रदूषण में कमी लाने की गतिविधियों के बजाय एक व्यापक बेसिन विकास योजना बनाई जाए। मेरी सरकार ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, जिसमें गंगा नदी बेसिन राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, को गठित करने की शुरूआत की है जिससे गंगा नदी के पुनरुद्धार और उसके प्रचुर लाभों के उपयोग के लिए व्यापक योजना बनाई जा सके।

मेरी सरकार ने जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए कई उपाय किए हैं। भारत, जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र ढांचा समझौता में वर्णित इस स्थिति को कायम रखने में दृढ़ता से विश्वास रखता है कि साझा वरन् विभेदीकृत उत्तरदायित्व का सिद्धांत ही अलग–अलग देशों की प्रतिक्रियाएं निर्धारित करे। भारत ने पहले ही स्वैच्छिक रूप से यह प्रतिबद्धता व्यक्त की है कि इसका प्रति व्यक्ति उत्सर्जन कभी–भी विकसित देशों के औसत उत्सर्जन से अधिक नहीं होगा। मेरी सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन पर एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की गई है। इस योजना के तहत आठ राष्ट्रीय मिशनों के माध्यम से आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये मिशन देश को सामूहिक रूप से सतत विकास के पथ पर आगे बढ़ाएंगे। सौर ऊर्जा को काम में लाने वाला राष्ट्रीय सौर मिशन इन आठ मिशनों में से एक है। धारणीय पर्यावास संबंधी मिशन भविष्य में होने वाले निर्माण कार्यों को दिशा–निर्देशित करने के लिए हरित मानक स्थापित करेगा। इन महत्वपूर्ण मिशनों को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन के कृषि पर प्रभाव का हल निकालने के लिए महाराष्ट्र के बारामती में अबायोटिक स्ट्रैस मैनेजमेंट संबंधी एक राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किया जा रहा है।

मेरी सरकार नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने तथा ऊर्जा क्षेत्र में इसके भाग को बढ़ाने के लिए कटिबद्ध है। भारत ने 13,740 मेगावाट वाली ग्रिड–संयोजित नवीकरणीय विद्युत क्षमता को प्राप्त किया। 11वीं योजना में 14,000 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता का लक्ष्य है।

संसार भारत की संस्कृति के प्रति आदर का भाव रखता है। देश में बड़ी संख्या में उपलब्ध सांस्कृतिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता और साथ ही व्यावसायिक नेतृत्व की आवश्यकता है। मेरी सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए भर्ती प्रक्रिया को बदलने का निर्णय लिया है कि कला और संस्कृति के क्षेत्र के व्यवसायी ही सांस्कृतिक संस्थाओं के अध्यक्ष चुने जाएं। सरकार ने कन्नड़ और तेलुगु को क्लासिकी भाषा के रूप में घोषित किया है जबकि तमिल और संस्कृत भाषाएं पहले से ही क्लासिकी भाषाएं घोषित हैं। सरकार इनके विकास से संबंधित क्रियाकलापों के लिए सहायता भी मुहैया कराएगी। 2 अक्तूबर को "अंतराष्ट्रीय अहिंसा दिवस" के रूप में मनाने के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में सफलतापूर्वक एक संकल्प पेश किया जिसे सर्वसम्मति से मान लिया गया। देश ने पिछले चार वर्षों के दौरान श्री गुरूग्रंथ साहिब की गुरूता गद्दी की 300वीं वर्षगांठ, महात्मा गांधी की अगुआई में दांडी मार्च की 75वीं वर्षगांठ, सत्याग्रह की शताब्दी, आजादी की पहली लड़ाई

की 150वीं वर्षगांठ और भगवान बुद्ध के जन्म की 2550वीं वर्षगांठ मनाई। ये अवसर ऐसे हैं जो हमें विचार की अनेकता, सहिष्णुता, सहानुभूति और सत्य तथा स्वतंत्रता की तलाश को कायम रखने वाली हमारी सामासिक संस्कृति की पुनः स्मृति कराते हैं। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मानना हमारी संस्कृति का मूल आधार है और इस भारतीय सोच को ठेस पहुंचाने वाला कोई भी प्रयास भारतीय होने की प्रकृति के विरुद्ध है। ऐसे तत्वों से लड़ने और उन्हें पराजित करने की आवश्यकता है।

आर्थिक पुनरूत्थान का परिणाम यह रहा है कि भारत के लिए पर्यटन के अवसर बढ़े हैं। आवास, हवाई यात्रा और यात्रा सुविधाओं में सुधार लाने के संगठित प्रयासों के साथ–साथ अतुल्य भारत और अतिथि देवो भवः अभियान अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने में सफल रहे हैं। विदेशी पर्यटकों का आगमन 2004 में 3.46 मिलियन से बढ़कर 2008 में 5.37 मिलियन हो गया। इसी अवधि में विदेशी मुद्रा का अर्जन 6.17 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 11.75 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है।

भारत 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। मेरी सरकार इसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। 678 करोड़ रुपए की योजना के अर्न्तगत भारतीय खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर व्यापक और गहन खेल प्रशिक्षण तथा एक्सपोजर मुहैया कराया जाएगा। ग्रामों तथा ब्लॉक पंचायतों में चरणबद्ध रूप से आधारभूत खेल अवसंरचनाओं के सृजन हेतु पंचायत युवक क्रीड़ा तथा खेल अभियान नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है।

मेरी सरकार ने लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उद्यमों (सीपीएसई) को प्रबंधकीय तथा वित्तीय स्वायत्तता हस्तांतरित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। परिणामस्वरूप, पिछले तीन वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उद्यमों (सीपीएसई) के टर्नओवर तथा लाभ में क्रमशः 45 प्रतिशत तथा 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र के रूग्ण तथा घाटे वाले केंद्रीय उद्यमों के पुनरुद्धार तथा पुनर्व्यवस्थापन संबंधी सलाह देने के लिए एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम पुनर्रचना बोर्ड (बीआरपीएसई) की स्थापना की गई है। सरकार ने बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर 34 रूग्ण तथा घाटे वाले सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उद्यमों के लिए 14 हजार करोड़ रुपए से अधिक राशि के पुनरूद्धार पैकेज को अनुमोदित किया है। मेरी सरकार ने द्वितीय वेतन संशोधन समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उद्यमों के कार्यपालकों के वेतनमानों में संशोधन करने के लिए भी दिशानिर्देश जारी किए हैं।

मेरी सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण पिछले चार वर्षों में 8.9 प्रतिशत से अधिक की अभूतपूर्व वृद्धि दर रही है जबकि पिछले तीन वर्षों में तो यह वृद्धि दर 9 प्रतिशत से भी अधिक रही है। ऐसा विकास पहले कभी नहीं हुआ। इससे मेरी सरकार को बड़े पैमाने पर विकास संबंधी निवेश करने के लिए समुचित संसाधनों का पता लगाने में मदद मिली। यह निवेश न केवल केंद्र सरकार के स्तर पर किया गया बल्कि राज्य सरकारों को दी जाने वाली सहायता को बढ़ाकर भी किया गया। यह सहायता 2003–04 में 186 हजार करोड़ रुपए से बढ़कर 2007–08 में 240 हजार करोड़ रुपए हो गई। इससे रक्षा कार्मिकों सहित सरकारी कर्मचारियों के लिए बहु–प्रतीक्षित छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को भी लागू करने में मदद मिली।

हालांकि शेष विश्व के साथ–साथ भारत भी आर्थिक मंदी का सामना कर रहा है, मेरी सरकार की नीतियों से यह सुनिश्चित हुआ है कि हमारी मूल स्थिति बेहतर रहे। भारत की घरेलू मांग हमारी अर्थ–व्यवस्था में नवीन संवेग का संचार कर सकती है। भारत के बैंक पूंजी से परिपूर्ण हैं और उनके समक्ष ऐसा कोई खतरा नहीं है जो विश्व के अन्य भागों में कई बैंकों के समक्ष है। मेरी सरकार ने ऐसे समय में हमारी अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए कई उपाय किए हैं। औद्योगिक विकास, निर्यात तथा सेवा क्षेत्र में मंदी की समस्या से निपटने के लिए सभी सरोकारियों के साथ विचार–विमर्श करके ये उपाय अविलम्ब घोषित किए गए। इन उपायों में नकदी तथा ऋण उपलब्धता में वृद्धि, करों तथा शुल्कों में कमी, अवसंरचनावर्धन तथा निर्यात, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग, आवासन तथा ऑटोमोबाइल जैसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों को विशेष सहायता शामिल है। मेरी सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा अधिरोपित सीमाओं को शिथिल किया है। इन उपायों से माल तथा सेवाओं की मांग में वृद्धि होगी जिससे विनिर्माण तथा सेवा दोनों क्षेत्रों में उत्पादन गतिविधियां फिर से शुरू होंगी। ऐसी आशा है कि विद्यमान प्रतिकूल वैश्विक आर्थिक वातावरण में भी हमारी अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत उच्च विकास दर अवश्य दर्ज करेगी।

माननीय सदस्य यह जानते हैं कि वस्तुओं की वैश्विक कीमतों, विशेषकर पेट्रोलियम तथा खाद्य कीमतों में हुई तीव्र वृद्धि से हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इस आघात को बहुत हद तक सरकार ने ही झेला और नागरिकों को इससे सुरक्षित रखा। इसके लिए आवश्यक था कि सरकार मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न राजकोषीय तथा आर्थिक उपाय करे। इन कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप मेरी सरकार मुद्रास्फीति की दर को सितम्बर, 2008 में 12 प्रतिशत से नीचे लाकर जनवरी 2009 में 5–6 प्रतिशत के लगभग कर सकी है।

आम आदमी को राहत पहुंचाने के लिए पेट्रोल, डीज़ल तथा एलपीजी की कीमतों में भी कमी की गई है।

राष्ट्र ने बहुत सी आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का सामना किया है। देश के विभिन्न शहरों में अधिकाधिक सुनियोजित तथा विदेशी सहायता प्राप्त आतंकी हमले हुए हैं। इनमें अनेकों मासूम जानें चली गई हैं। मुंबई में हुए आतंकी हमले तथा दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, जयपुर, बेंगलुरू तथा असम और उससे पहले काबुल में हमारे दूतावास में हुई आतंकवादी घटनाएं, उन सभी मूल्यों पर आघात हैं जिनके लिए हमारा देश जाना जाता है। जान-बूझकर हमारी आर्थिक प्रगति में बाधा डालने के लिए ही मुंबई हमले की योजना बनाई गई थी। इन हमलों के बाद मिले अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से मेरी सरकार के हौसले और बुलंद हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पाकिस्तान से उपजने वाले आतंकवाद से इस क्षेत्र तथा विश्व को होने वाले खतरे के प्रति बोध बढ़ा है।

राज्य पुलिस बलों के सदस्यों सहित हमारे सुरक्षा बलों के सदस्य अभिनंदन के पात्र हैं जो आतंकवादियों, वामपंथी उग्रवादी एवं विद्रोही समूहों की गंभीर चुनौतियों का सामना करते हैं और हमारे देश की अखंडता और संप्रभुता की सदा रक्षा करते हैं। इनमें से अनेकों ने मुंबई के हालिया हमलों में सर्वोच्च बलिदान दिए और अपने जीवन की बलि दी। हम उनके परिवारों के शोक में सहभागी हैं तथा मेरी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उन्हें सामान्य जीवन जीने के लिए पर्याप्त मुआवजा मिले।

मेरी सरकार ने लोगों को हिंसा के ऐसे अंधाधुंध कृत्यों से सुरक्षित रखने के लिए देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ किया है। आतंकवाद से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी की स्थापना की गई है। आतंकवाद से संबंधित अपराधों तथा आतंकवादी संगठनों से निपटने के लिए विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम में संशोधन किया गया है। इन उपायों ने आतंकवादी ताकतों से निपटने के लिए विधिक तथा जांच के ढांचे को सुदृढ़ किया है। आंतरिक सुरक्षा तंत्र को इन शक्तियों से सुसज्जित करते हुए विधिक प्रक्रियाओं को बनाये रखने तथा ऐसी शक्तियों के किसी भी दुरूपयोग को रोकने पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। समुद्र से होने वाले खतरों से निपटने के लिए नौवहन तथा तटीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की गई है।

वामपंथी उग्रवाद कई राज्यों में चिंता का मुख्य कारण रहा है। मेरी सरकार ने पुलिस बलों के आधुनिकीकरण तथा अति पिछड़े क्षेत्रों के लिए सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन द्वारा प्रभावित राज्यों के साथ गहन समन्वय करके इस समस्या को सुलझाने के लिए सर्वसमावेशी दृष्टिकोण अपनाया है। इसी प्रकार, उत्तर-पूर्व में विद्रोह की समस्या से निपटने के लिए कई पहलें की गईं।

गत चार वर्षों में उत्तर-पूर्व की सामान्य स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। हिंसा से दूर रहने वाले विभिन्न दलों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से उनसे संवाद प्रक्रिया शुरू करने के प्रयास किए गए हैं। उत्तर-पूर्व राज्यों में अवसंरचना की कमी से निपटने के लिए लगभग 8700 किलोमीटर लम्बे अंतर्क्षेत्रीय, अंतर्राज्यीय तथा जिला स्तर के सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए एक विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है। 1840 किलोमीटर लम्बा ट्रांस अरुणाचल-एक्सप्रेसवे अनुमोदित कर दिया गया है। सिक्किम के लिए एक वैकल्पिक राजमार्ग विकसित करने पर विशेष बल दिया गया है और उत्तर-पूर्व के राज्यों के लिए रेल तथा हवाई संपर्क बनाने के कार्य को तीव्र गति से किया जा रहा है। कालादान परियोजना मिजोरम तथा उत्तर-पूर्व को समुद्र से जोड़ेगी तथा इससे यह संपूर्ण क्षेत्र सुगम्य हो जाएगा। अवसंरचना के साथ-साथ इस क्षेत्र में शैक्षिक सुविधाओं के विस्तार को उच्च प्राथमिकता दी गई है जिसके लिए प्रत्येक राज्य में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय दिया गया। शिलांग में पहले ही भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थापित किया जा चुका है।

जम्मू और कश्मीर के लिए मेरी सरकार ने एक पुनर्संरचना योजना शुरू की है जिसके अंतर्गत 67 परियोजनाओं में 24,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। इसका लक्ष्य अवसंरचना को सुदृढ़ करना तथा जम्मू, कश्मीर तथा लद्दाख इन तीनों क्षेत्रों की अन्य विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करना है। बगलिहार जल-विद्युत परियोजना प्रारंभ हो चुकी है। वादी में पहली रेल लाइन शुरू होने से इस क्षेत्र के लोगों का शेष भारत के साथ भौतिक तथा भावनात्मक संपर्क स्थापित हुआ है। श्रीनगर-करगिल-लेह मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है और इसका उन्नयन किया जा रहा है। इस पृष्ठभूमि में मेरी सरकार हिंसा का सहारा लेने वाले लोगों को मुख्यधारा में शामिल करके जम्मू तथा कश्मीर के कल्याण तथा त्वरित विकास के लिए कार्य कर रही है।

भारत की सुरक्षा तथा प्रादेशिक अखंडता की रक्षा पर मेरी सरकार ने अत्यधिक ध्यान दिया है। हमारी सशस्त्र सेनाओं ने अपनी वचनबद्धता, बलिदान तथा व्यावसायिकता की भावना से देश को गौरवान्वित किया है। वे विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों में विद्रोहों से निपटने के साथ-साथ प्राकृतिक आपदाओं में भी बार-बार सिविल प्राधिकारियों की सहायता के लिए आगे आए हैं।

विभिन्न भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों तथा क्षेत्रों वाली हमारी लंबी सीमाओं के लिए यह आवश्यक है कि सशस्त्र बलों को हर प्रकार से लैस रखा जाए जिससे कि वह अलग-अलग चुनौतियों का हर समय सामना कर सकें। सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के कार्यक्रम

का फोकस नवीनतम प्रौद्योगिकी और नेटवर्क सैंट्रिक वारफेयर पर हैं और इसमें अंतरिक्ष के सैन्यकरण से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए एक एकीकृत अंतरिक्ष सैल भी शामिल है। सरकार अपेक्षित सीमा तक आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए वचनबद्ध है। अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती के खतरों से निपटने के लिए तथा हमारी समुद्री संचार व्यवस्था को सुरक्षित करने में भारतीय नौसेना द्वारा दी गई कार्रवाई से अपने हितों को सुरक्षित करने की हमारी क्षमता तथा इच्छाशक्ति प्रदर्शित होती है।

रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारे अनुसंधान तथा विकास प्रयासों ने अग्नि–I तथा अग्नि–III तथा अन्य मिसाइलों के प्रक्षेपण जैसे साकार परिणाम दिए हैं। मुख्य जंगी टैंक अर्जुन का विनिर्माण चल रहा है। अधिकतम पारदर्शिता, संसाधनों की किफायत तथा हमारे देशीकरण प्रयासों को सहायता सुनिश्चित करने के लिए रक्षा प्रापण प्रक्रियाओं का निरन्तर पुनरीक्षण किया गया तथा उन्हें अद्यतन बनाया गया।

भारत का डायस्पोरा विश्व में दूसरे स्थान पर है। 25 मिलियन से अधिक अनुमानित प्रवासी भारतीय विश्व के प्रत्येक मुख्य क्षेत्र में फैले हुए हैं। मेरी सरकार ने प्रवासी भारतीयों, विशेषकर पश्चिमी एशिया तथा खाड़ी में रहने वाले प्रवासी भारतीयों के कल्याण के लिए तथा राष्ट्र निर्माण से संबंधित गतिविधियों में उनको जोड़ने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें छात्रवृत्ति कार्यक्रम, भारत विकास प्रतिष्ठान का सृजन, प्रवासी रोजगार संवर्धन परिषद तथा प्रवासी कामगार संसाधन केन्द्र तथा भारतीय मूल के व्यक्तियों/अनिवासी भारतीयों के एक विश्वविद्यालय की स्थापना शामिल हैं। प्रवासी भारतीयों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए राष्ट्रीय विकास की विचारधारा को उत्प्रेरित करने के लिए प्रधानमंत्री की भारतीय मूल के लोगों की वैश्विक सलाहकार परिषद् गठित की गई है।

मेरी सरकार ने हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने तथा हमारी जनता के लिए त्वरित सामाजिक–आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए एक मैत्रीपूर्ण तथा शांतिपूर्ण बाह्य वातावरण को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए प्रभुता–संपन्न, समानता तथा परस्पर सम्मान के आधार पर सभी देशों के साथ घनिष्ठ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक संबंध विकसित करने को उच्चतम प्राथमिकता दी है। इस तथ्य को मानते हुए कि हम सुदृढ़ ऐतिहासिक सांस्कृतिक तथा नृजातीय सूत्रों से बंधे हैं, हमने एक स्थिर और समृद्ध दक्षिण एशिया को बढ़ावा देने के सतत प्रयास भी किए हैं।

हमारी विदेश नीति के संचालन ने विश्व में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। मेरी सरकार की विदेश नीति उन्हीं मूल्यों से अनुप्राणित है जिन पर हमारा राष्ट्र टिका हुआ है–विचार तथा कार्य की स्वतंत्रता, जो एक प्रजातांत्रिक, न्यायशील तथा समतापूर्ण वैश्विक व्यवस्था तथा विधि का शासन सुनिश्चित करती है। हमारे समय के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर भारत के विचारों पर न केवल ध्यान ही दिया जा रहा है बल्कि अब उन्हें अपनाया भी जा रहा है।

मेरी सरकार ने समकालीन वास्तविकताओं के अनुसार आतंकवाद, ऊर्जा तथा खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास, वैश्विक आर्थिक तथा वित्तीय संकट और संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं सहित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार की प्रमुख वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर सक्रिय रूप से कार्य किया है।

अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ भारत विशिष्ट रक्षोपाय करार के परिणामस्वरूप तथा 2008 में नाभिकीय पूर्ति समूह द्वारा अपने सदस्यों को भारत के साथ नाभिकीय सामग्री तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पूर्ण असैनिक नाभिकीय सहयोग तथा व्यापार करने की अनुमति देने के निर्णय से 34 साल के ऐसे नाभिकीय असहयोग तथा प्रौद्योगिकी वंचना तंत्र का अंत हुआ है जिसे भारत अभी तक झेल रहा था। इसने हमारे देशीय नाभिकीय विद्युत उत्पादन कार्यक्रम का मार्ग प्रशस्त किया है जो अंतर्राष्ट्रीय असैनिक नाभिकीय ऊर्जा सहयोग द्वारा प्राप्त अतिरिक्त शक्ति से और सुदृढ़ हुआ है और जिसने पर्यावरण परिवर्तन के विरुद्ध वैश्विक लड़ाई में भी योगदान दिया है। भारत के साथ ऐसे सहयोग की शुरूआत अप्रसार पर भारत के त्रुटिहीन रिकॉर्ड तथा सार्वभौमिक, भेदभावरहित तथा व्यापक नाभिकीय निरस्त्रीकरण के प्रति हमारी चिरस्थायी वचनबद्धता को सही सिद्ध करती है।

भारत ने अपने पड़ोस में आर्थिक पुनःएकीकरण को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ में अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह किया है। भारत की दक्षेस अध्यक्षता के दौरान और उसके बाद कई क्षेत्रीय पहलें की गईं जिनमें भारत में दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय भी एक था। इससे दक्षेस ने घोषणात्मक चरण तक ही सीमित न रहकर कार्यान्वयन चरण में भी प्रवेश कर लिया है।

हमने अफगानिस्तान के साथ अपने संबंधों को और मजबूत किया है और इसकी आर्थिक पुनः संरचना और विकास के प्रयासों में निकटता से शामिल रहे हैं। हम अफगानिस्तान को एक स्थायी, बहुलवादी और प्रजातांत्रिक देश के रूप में देखना चाहते हैं। 2008 में काबुल में हमारे दूतावास पर हुआ आतंकवादी हमला गहन चिंता का मामला था और इसने अफगानिस्तान की जनता के प्रति हमारी वचनबद्धता को पूरा करने के संकल्प को और मजबूत किया। हम बंगलादेश में बहुदलीय प्रजातांत्रिक राजनीति की वापसी का स्वागत करते हैं और नवनिर्वाचित सरकार के साथ निकटता के साथ कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री की भूटान यात्रा और महामहिम जिग्मे खेसर वांगुचक की ताज़पोशी में भारत

की ओर से मेरी शिरकत से हमारे इस निकटतम पड़ोसी के साथ हमारे बहु–पक्षीय संबंध और सुदृढ़ हुए हैं। भारत और मालदीव परस्पर मित्रता और घनिष्ठ सहयोग के परंपरागत संबंध बनाए हुए हैं। म्यांमार के साथ हमारे संबंध ऐसे हैं जो सीमा पर शांति और सुकून को बढ़ावा देने के हमारे सांझे इतिहास और पारस्परिक इच्छा को परिलक्षित करते हैं। सरकार नेपाल के लोगों को उनके द्वारा लगाए गए बहुदलीय प्रजांतत्र के ऐतिहासिक परिवर्तन के लिए अपना पूर्ण समर्थन देती है और उनको शुभकामनाएं देती हैं।

हम श्रीलंका में सैन्य संघर्ष बढ़ने से देश में ही विस्थापित नागरिकों की दशा के प्रति चिंतित हैं। श्रीलंका में अविभाजित श्रीलंका की संरचना के भीतर ही बातचीत के जरिए निकले ऐसे राजनीतिक हल को जो तमिल समुदाय सहित सभी समुदायों को स्वीकार्य हो, हम समर्थन जारी रखेंगे। श्रीलंका सरकार और लिट्टे से मेरी अपील है कि वे फिर से बातचीत शुरू करें। यह तभी संभव हो सकता है जब श्रीलंका सरकार सैन्य कार्रवाई रोकने और लिट्टे हथियार डालने तथा सरकार के साथ बातचीत शुरू करने की अपनी इच्छाओं की घोषणा एक साथ करें।

2004 से पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों में काफी प्रगति हुई परन्तु यह खेदजनक है कि पाकिस्तान से आतंकवाद ने द्विपक्षीय संवाद प्रक्रिया की उपलब्धियों को व्यर्थ कर दिया और इससे हमारे संबंधों को गहरा धक्का लगा। पाकिस्तान ने सर्वोच्च स्तर पर हमसे यह वायदा किया था कि वह अपने नियंत्रणाधीन क्षेत्र का किसी भी तरह से भारत के विरुद्ध आतंकवाद के लिए प्रयोग नहीं होने देगा, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान से आतंकवादियों का भारत पर हमला जारी है। हम आशा करते हैं कि पाकिस्तान हमसे किए गए वायदों का सम्मान करेगा और वह उसे यहां आधारित तथा वहां से संचालित आतंकवादी गुटों के खिलाफ निर्णायक और विश्वसनीय कार्रवाई करेगा।

चीन जन–गणराज्य के साथ हमारे संबंध नियमित उच्चस्तरीय वार्ताओं, बढ़ते आर्थिक और व्यापारिक संबंधों, बढ़ते सैन्य संपर्कों और दोनों देशों की जनता के बीच बढ़ते पारस्परिक संबंधों के साक्षी हैं। चीन के साथ हमारी स्ट्रैटिजिक और सहकारी भागीदारी अब और अधिक क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रूप अख्तियार कर रही है। दोनों पक्ष सीमावती क्षेत्रों में शांति और सुकून बनाए रखते हुए सीमा के मसले और बकाया मुद्दों को बातचीत के जरिए हल करने के लिए प्रयासरत हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्वक प्रयोग संबंधी सहयोग के करार पर हस्ताक्षर हमारे संबंधों में आए परिवर्तन की स्पष्ट अभिव्यक्ति हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हमारे संबंध विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर व्यापार और निवेश तक फैले हुए हैं। हम वहां नए शासन के साथ द्विपक्षीय क्षेत्र में परस्पर हितों के साथ–साथ हमारे सम्मुख आई मुख्य चुनौतियों के लिए कार्य करने को उत्सुक हैं। रूस के साथ हमारे सामरिक और चिरकालिक संबंध और मजूबत तथा व्यापक हुए हैं। रूस हमारी रक्षा और नाभिकीय ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने और अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग सहित विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारा अमूल्य सहयोगी रहा है। यूरोपीय संघ और यूरोप के अन्य देशों के साथ हमारे संपर्क रक्षा और सुरक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश, कृषि, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में काफी गहरे हुए हैं। रूस और फ्रांस के साथ असैनिक नाभिकीय सहयोग संबंधी करारों पर हस्ताक्षर किए गए और अन्य मित्र देशों के साथ इसी प्रकार के करार करने के लिए बातचीत चलाई गई।

जापान के साथ हमारी सामरिक और वैश्विक साझेदारी बढ़ी है और हमारी हार्दिक इच्छा है कि हमारे संबंध परस्पर परिपूर्ण हों। पूर्व एशिया के साथ हमारे संपर्क हमारे इस विश्वास का संकेत देते हैं कि इक्कीसवीं सदी एशिया की है और भारत को एशिया के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। वियतनाम और इंडोनेशिया की मेरी यात्राओं और एएसईएम के देशों की शिखर बैठक में पहली बार भारत की प्रतिभागिता से हमारी "लुक ईस्ट पॉलिसी" को बहुत बल मिला है।

हमने खाड़ी देशों के साथ अपने परम्परागत और ऐतिहासिक संबंधों को प्रगाढ़ करने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री की ओमान और कतर यात्रा ने ऊर्जा सुरक्षा, निवेश और खाड़ी में कार्यरत भारतीयों के कल्याण के क्षेत्रों में सहयोग के नए मार्ग खोले हैं। मिस्र, सीरिया और फिलिस्तीनी शासन के राष्ट्रपतियों के दौरों से पश्चिम एशिया के साथ हमारे संबंध और मजबूत हुए। गाजा के अंदर हाल ही में हुए हमले से हुई जनजीवन की त्रासद हानि और गहन पीड़ा से आवश्यक हो जाता है कि फिलिस्तीनी मुद्दे का पूर्ण समाधान तत्काल होना चाहिए। हम फिलिस्तीन के मामले में अपने सहयोग और पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता देखने की अपनी इच्छा पर कायम हैं। सरकार ने ईरान के साथ समसामायिक संबंध बनाने के लिए कार्य किया। हमारे गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में कज़ाखस्तान के राष्ट्रपति की यात्रा, सरकार द्वारा मध्य एशिया के हमारे सुदूर पड़ोस को दिए जाने वाले महत्व की प्रतीक है।

मेरी सरकार ने विशाल अफ्रीका महाद्वीप के साथ हमारे संबंधों में एक नए अध्याय की शुरूआत की है। भारत–अफ्रीकी फोरम की भारत में हुई पहली शिखर वार्ता ने अफ्रीका के साथ हमारे भावी संबंधों की रूप–रेख तैयार की। अफ्रीका के विकास प्रयासों में सहायता करने के लिए हम उसे अपने संसाधन और तकनीकी जानकारी मुहैया कराएंगे। राष्ट्रपति के रूप में मेरी पहली विदेश यात्रा ब्राजील, मैक्सिको और चिली

की थी। लैटिन अमेरिकी और कैरिबिआई देशों के साथ हमारे संबंधों में विद्यमान व्यापक संभावनाओं का उपयोग करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं।

भारत की जी–20 देशों की शिखर बैठक में भागीदारी और भारत में तृतीय इब्सा शिखर सम्मेलन तथा द्वितीय बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी को, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय प्रणाली में उतार–चढ़ाव के समय, नए आर्थिक संबंध बनाने और वर्तमान आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने के काम में लाया गया।

माननीय सदस्यों, मेरी सरकार का एकनिष्ठ लक्ष्य यही रहा है कि वह उपलब्ध अवसरों का समान उपयोग करके अपनी जनता को और समृद्ध बनाए। मेरी सरकार को विश्वास है कि समग्र विकास के लिए उसके कार्यक्रम प्रगति के लाभों को एक समान बांटने में सहायता करेंगे। जब किसी सुदूर जनजातीय गांव में किसी बच्चे को उसके घर के पास ही स्कूल उपलब्ध है, जब उसकी स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है, जब उसके माता–पिता को कार्य की तलाश में अन्यत्र नहीं जाना पड़ता बल्कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के द्वारा उन्हें वहीं रोजगार मिल जाता है, जब उनको अपनी भूमि के अधिकार प्राप्त हैं और जब वे सूचना के अधिकार के जरिए इन कार्यों के लिए सरकार से जवाब मांगने के लिए सशक्त हैं, तब हम पंडित नेहरू द्वारा राष्ट्र के लिए प्रवर्तित इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए करीब आ गए हैं। स्वतंत्रता के दिन इसी प्रतिष्ठित सदन में उन्होंने आह्वान किया था कि हमें "गरीबी, अज्ञान, रोग और अवसर की असमानता हटाने के लिए" सामूहिक रूप से कार्य करना चाहिए। यह स्वीकार करते हुए भी कि हमारे सभी देशवासियों के लिए समान अवसरों के साथ एक समावेशी समाज का कार्य अभी भी चल रहा है, मेरी सरकार को अपनी उपलब्धियों के आधार पर यह विश्वास है कि हम इस लक्ष्य की पूर्ति के और पास आ गए हैं।

मेरी सरकार ने वैश्विक अवसरों को युवाओं तक पहुंचाने हेतु विकास की गति को तेज करने के लिए लगातार कोशिशें की हैं। युवा भारत ऊंची उड़ान भरने की क्षमता रखता है। हमारी आर्थिक उन्नति ने इस प्रकार की विश्वस्तरीय आकांक्षाओं को संभव बनाया है। ज्ञान के क्षेत्र में निवेश हमें अपने उद्देश्यों के और करीब ले जाएगा। हमारे युवा भविष्य के बारे में पहले कभी इतने आश्वस्त नहीं थे। आओ हम अपनी पहुंच को अपनी अपेक्षाओं से आगे ले चलें।

जय हिन्द।

अपराह्न 12.52 बजे

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

पूर्व प्रधानमंत्री और सभा के दो अन्य सदस्यों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए शुभकामनाएं

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे पूरा विश्वास है कि सभा मेरे साथ मिलकर पूर्व प्रधानमंत्री, माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी और श्री प्रियरंजन दासमुंशी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की शुभकामनाएं देगी।

अपराह्न 12.53 बजे

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री आर. वेंकटरमन तथा अपने दो पूर्व सहयोगियों चौधरी रणबीर सिंह तथा श्री पेरियासामी त्यागराजन के दुखद निधन की सूचना देनी है।

भारत के पूर्व राष्ट्रपति, श्री आर. वेंकटरमन एक विख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अपने लम्बे प्रतिष्ठित सार्वजनिक जीवन में अनेक उच्च पदों को सुशोभित किया।

श्री आर. वेंकटरमन 1950 से 1952 तक अंतरिम संसद; 1952 से 1957 तक पहली लोक सभा; 1977 से 1979 तक छठी लोक सभा तथा 1980 से 1984 तक सातवीं लोक सभा के सदस्य रहे। वह दूसरी लोक सभा के लिए भी निर्वाचित हुए थे लेकिन 1957 में मद्रास विधान परिषद् के लिए निर्वाचित होने के परिणामस्वरूप उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। उन्होंने वर्ष 1957 से 1962 तथा वर्ष 1962 से 1967 तक मद्रास विधान परिषद् के सदस्य के रूप में कार्य किया। इस अवधि के दौरान उन्होंने तत्कालीन मद्रास राज्य सरकार में उद्योग, श्रम, सहकारिता, विद्युत तथा परिवहन मंत्री के रूप में कार्य किया। इस अवधि के दौरान उन्होंने मद्रास विधान परिषद् में सदन के नेता के रूप में भी कार्य किया।एक अत्यंत कुशल प्रशासक श्री वेंकटरमन ने 1967 से 1971 तक केन्द्रीय योजना आयोग के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। सातवीं लोक सभा के दौरान 1980 से 1984 तक केन्द्र में वित्त और रक्षा मंत्री रहे।

उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और 'भारत छोड़ो' आंदोलन के दौरान 1942 से 1944 तक कारावास में रहे। उन्हें

भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए 'ताम्र पत्र' प्रदान किया गया। एक उत्कृष्ट विधिवेत्ता श्री वेंकटरमन 1935 में 'बार' में शामिल हुए। वह मलाया और सिंगापुर पर जापान के कब्जे के दौरान किए गए अपराधों के आरोपी आजाद हिन्द फौज के सैनिकों का बचाव करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1946 में गठित वकीलों के पैनल के सदस्य रहे। बाद में वह 1955 से 1979 तक युनाइटेड नेशन्स एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के सदस्य रहे और 1968 से 1979 तक वह इसके प्रेसीडेंट भी रहे। युनाइटेड नेशन्स एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के प्रेसीडेंट के रूप में उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए महासचिव, संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें एक स्मृति चिन्ह भेंट किया।

उन्होंने जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार की जूरी; इन्दिरा गांधी शान्ति, निःशस्त्रीकरण पुरस्कार की अन्तर्राष्ट्रीय जूरी और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् तथा भारतीय लोक प्रशासन संस्थान सहित अनेक संगठनों के चेयरमैन और प्रेसीडेंट के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की।

श्री वेंकटरमन 31 अगस्त, 1984 को देश के उपराष्ट्रपति चुने गए। राज्य सभा के पदेन सभापति के रूप में उन्होंने उच्च सदन की कार्यवाही का अत्यंत कुशलतापूर्वक संचालन किया। वह भारत के आठवें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए और 25 जुलाई, 1987 को अपना पदभार संभाला। भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने इस उच्च पद की प्रतिष्ठा और गरिमा को बढ़ाया।

श्री वेंकटरमन को मद्रास विश्वविद्यालय, नागार्जुन विश्वविद्यालय और बर्दवान विश्वविद्यालय द्वारा 'डाक्टरेट ऑफ लॉ' की उपाधि से नवाजा गया। रुड़की विश्वविद्यालय से भी उन्हें सामाजिक विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि से सुशोभित किया गया। उनकी स्वभाविक लेखन क्षमता को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सराहा गया। उन्होंने राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर अनेक पुस्तकें लिखीं। श्री कामराज की समाजवादी देशों की यात्रा पर श्री वेंकटरमन द्वारा लिखे गए यात्रा वृत्तांत के लिए उन्हें सोवियत लैण्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

भारत के राष्ट्रपति के पदभार से मुक्त होने के पश्चात् श्री वेंकटरमन को उनका मानवतावादी दृष्टिकोण आम नागरिकों के जीवन से जुड़ी अनेक कल्याणकारी परियोजनाओं से सक्रिय रूप से जुड़े रहने के लिए प्रेरित करता रहा। एक वयोवृद्ध राजनेता के रूप में उनकी विवेकपूर्ण सलाह का अत्यंत सम्मान किया जाता था।

उनके निधन से देश ने एक कुशल राजनेता, प्रबुद्ध विद्वान, महान देशभक्त, सुविख्यात विधायक तथा एक महान नेता को खो दिया है।

श्री आर. वेंकटरमन का निधन 98 वर्ष की आयु में 27 जनवरी, 2009 को नई दिल्ली में हुआ।

चौधरी रणबीर सिंह 1947 से 1950 तक संविधान सभा और 1950 से 1952 तक अंतरिम संसद के सदस्य रहे। वह 1952 से 1962 तक पहली और दूसरी लोक सभा के सदस्य भी रहे और उन्होंने पंजाब के रोहतक (अब हरियाणा में) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

संविधान सभा के सदस्य के रूप में उन्होंने जन कल्याणकारी कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिन्हें राज्य के नीति–निदेशक सिद्धान्तों में स्थान दिया गया है। वरिष्ठ विधायक चौधरी रणबीर सिंह एकमात्र ऐसे विधायक रहे हैं जो अपने तीन दशक से अधिक लम्बे शानदार विधायी जीवन में छह विभिन्न सदनों के सदस्य रहे।

चौधरी रणबीर सिंह 1962 से 1966 तक पंजाब विधान सभा तथा 1966 से 1967 और 1968 से 1972 तक हरियाणा विधान सभा के सदस्य भी रहे। वह 1972 से 1978 तक राज्य सभा के सदस्य भी रहे और उन्होंने हरियाणा राज्य का प्रतिनिधित्व किया।

वह पंजाब सरकार में सिंचाई और विद्युत मंत्री तथा हरियाणा सरकार में लोक निर्माण विभाग और स्वास्थ्य मंत्री रहे। उन्होंने राज्य में सिंचाई अवसंरचना विकास, विशेष रूप से भाखड़ा बांध के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाई और उनके प्रयासों से हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ जिसकी वजह से करोड़ों भारतीयों के जीवन में बदलाव आया और कृषि उत्पादन के मामले में देश आत्मनिर्भर बना।

स्वतंत्रता सेनानी चौधरी रणबीर सिंह ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में भाग लिया। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान वह अनेक बार जेल गए। इस प्रकार उन्होंने साढ़े तीन साल जेल में बिताए तथा दो वर्ष उन्हें घर में नजरबंद रखा गया। एक सच्चे गांधीवादी के रूप में सक्रिय राजनीति से सन्यास लेकर उन्होंने अन्य लोगों के साथ मिलकर अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी संगठन की स्थापना की और मृत्युपर्यंत इसके कार्यकारी अध्यक्ष बने रहे।

एक कृषक व शिक्षाविद् चौधरी रणबीर सिंह ने कई शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की। वह भारत किसान समिति के सचिव तथा रोहतक कृषक सहकारी बहुउद्देशीय समिति के अध्यक्ष रहे। वह

कृषकों, पिछड़े वर्गों व दलितों के कल्याण के पक्षधर थे। वह अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग फेडरेशन के संस्थापक महासचिव थे। उन्होंने सामाजिक बुराईयों जैसे अस्पृश्यता, असमानता और पीड़ित वर्ग के खिलाफ अन्याय को दूर करने के लिए अनवरत प्रयास किया तथा एक समतामूलक एवं पंथ निरपेक्ष समाज की स्थापना के लिए कार्य किया।

अपराह्न 1.00 बजे

वर्ष 1947 में देश के विभाजन के दौरान वह साम्प्रदायिक एकता को बहाल करने के लिए अथक रूप से जुटे रहे तथा उन्होंने लाखों विस्थापित शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया।

उनकी मृत्यु से देश ने एक निर्भीक स्वतंत्रता सेनानी, कट्टर गांधीवादी, एक दूरदर्शी एवं प्रतिष्ठित संसदविद् को खो दिया है।

चौधरी रणबीर सिंह का निधन 94 वर्ष की आयु में 1 फरवरी, 2009 को हुआ।

श्री पेरियासामी त्यागराजन वर्ष 1977 से 1979 तक छठी लोक सभा के सदस्य रहे। उन्होंने तमिलनाडु के शिवगंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

पेशे से वकील श्री त्यागराजन ने सहकारी आंदोलन में विशेष रूचि ली तथा वह अनेक सहकारी समितियों से सम्बद्ध रहे। उन्होंने समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए कार्य किया।

श्री त्यागराजन ने राष्ट्रीय नाविक कल्याण बोर्ड के सदस्य के रूप में भी कार्य किया।

श्री पेरियासामी त्यागराजन का निधन 69 वर्ष की आयु में 30 नवम्बर, 2008 को तमिलनाडु के शिवगंगा में हुआ।

हम अपने इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। मैं अपनी और इस सभा की ओर से शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं।

अपराह्न 1.01 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.02 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 13 फरवरी, 2009/24 माघ, 1930 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद–विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी. वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद–विवाद के मूल संस्करण, वाद–विवाद के हिन्दी संस्करण, वाद–विवाद के अंग्रेजी संस्करण, वाद–विवाद के अंग्रेजी संस्करण, तथा इनकी अनुक्रमणिकाएं, संसदीय समितियों के प्रतिवेदन एवं संसद के अन्य प्रकाशन तथा संसद के प्रतीक चिन्ह युक्त स्मारक मदें **विक्रय फलक, स्वागत कार्यालय, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 (दूरभाष : 23034726, 23034495, 23034496)** पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। इन प्रकाशनों की जानकारी उपर्युक्त वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

© 2009 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (बारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशि
और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली – 110006 द्वारा मुद्रित।